

सजग माय

◀ 1-31 मार्च, 2024 ▶ वर्ष: 1 ▶ अंक: 23/24, (संयुक्तांक)

निःशुल्क प्रति

महिलाओं के लिए बन रहा है सुरक्षित भारत



महिला सुरक्षा: केन्द्र सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता



अनुक्रमणिका

भारतीय विकास यात्रा में साबित होगा मील का पत्थर	16
महिला सुरक्षा में कोताही की गुंजाइश नहीं	18
संबंधों को दी नई शक्ति, कई मुद्दों पर हुए समझौते	20
सेमीकंडक्टर हब बन रहा है भारत	23
रक्षा जरूरतों में आत्मनिर्भर होता भारत	24
देश में सशक्त हुआ एंटी-नारकोटिक्स तंत्र	25
दुनिया की उम्मीद पर खरा उतरता है भारत	26
एक सामाजिक संस्कृति बन गया है स्टार्टअप	27
उत्तर-पूर्व राज्यों में हिंसा में लिप्त 10 हजार लोग...	28
सबके साथ से विकास होता जाएगा	29
गेस्ट कॉलम	30

विशेष रिपोर्ट



05 महिलाओं के लिए बन रहा है सुरक्षित भारत



08 महिला सुरक्षा को बढ़ाती है लैंगिक संवर्धनशीलता के संग पुलिसिंग



12 महिला सुरक्षा : केन्द्र सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता

संपादक की कलम से...

महिला सुरक्षा किसी देश के मूल्यों और शासन का पैमाना है, और यह केवल चर्चा का एक सामाजिक विषय नहीं है। दुनिया की सबसे अधिक आबादी वाले देश के रूप में, भारत अपनी लगभग आधी आबादी - अपनी महिलाओं - की सुरक्षा के महत्व को बहुत गंभीरता से लेता है। यह न केवल राष्ट्रीय गरिमा का मामला है, बल्कि देश के जनसांख्यिकीय लाभांश के हिसाब से भी महत्वपूर्ण है।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में, भारत में महिला सुरक्षा की विभिन्न चुनौतियों से निपटने के लिए 2014 से पर्याप्त प्रयास किए गए हैं। इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम 2019 में शुरू की गई राष्ट्रव्यापी आपातकालीन हेल्पलाइन नंबर 112 का संचालन है। यह नंबर सभी आपातकालीन सेवाओं को एकीकृत करता है, जो संकट में महिलाओं के लिए वन-स्टॉप समाधान प्रदान करता है। इसने प्रतिक्रिया समय को काफी कम कर दिया है और संकट की स्थितियों में हस्तक्षेप की दक्षता में सुधार किया है। सहायता के लिए अन्य हेल्पलाइन नंबर भी उपलब्ध हैं, जैसे महिला हेल्पलाइन (सामान्य): 1091, महिला हेल्पलाइन (घरेलू दुर्व्यवहार): 181, राष्ट्रीय महिला आयोग हेल्पलाइन: 7827170170, केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड-पुलिस हेल्पलाइन: 1091/1291, शक्तिशालिनी महिला आश्रय: 011-24373736, 24373737 आदि।

केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा प्रमुख शहरों में 2023 में शुरू की गई 'सेफ सिटी' परियोजना सार्वजनिक स्थानों पर महिलाओं के लिए एक सुरक्षित, संरक्षित और सशक्त वातावरण बनाने में मदद कर रही है, ताकि उन्हें संभावित हिंसा या उत्पीड़न के डर के बिना सभी अवसरों का लाभ उठाने में सक्षम बनाया जा सके। इस परियोजना के तहत, प्रमुख शहरों को उन्नत निगरानी प्रणालियों, बेहतर सड़क प्रकाश व्यवस्था और संवेदनशील क्षेत्रों में पुलिस गश्त बढ़ाने से लैस किया जा रहा है।

पुलिस बलों को उनके नियमित कर्तव्यों के हिस्से के रूप में महिला सुरक्षा मामलों से निपटने के लिए तैयार करने के लिए, परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण अवधि से ही कर्मियों का लिंग संवेदीकरण एक महत्वपूर्ण कदम है। विशिष्ट प्रशिक्षण कार्यक्रम पुलिस को लिंग आधारित हिंसा से अधिक प्रभावी ढंग से और संवेदनशीलता से निपटने के लिए सक्षम बनाते हैं।

विधायी मोर्चे पर, दिसंबर 2023 में पारित नए आपराधिक कानूनों में महिलाओं और बच्चों से संबंधित अपराधों के लिए सख्त दंड का प्रावधान करके महिलाओं की सुरक्षा की रक्षा के लिए व्यापक प्रावधान हैं। केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने संसद में कहा, 'नए कानून निवारक के साथ-साथ पीड़ितों के लिए त्वरित न्याय सुनिश्चित करने के लिए एक तंत्र के रूप में काम करेंगे।'

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा 'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ' अभियान, मुख्य रूप से कन्या भ्रूण हत्या को समाप्त करने और लड़कियों की शिक्षा में सुधार पर केंद्रित है, साथ ही अप्रत्यक्ष रूप से दीर्घकालिक सुरक्षा और सशक्तिकरण में भी योगदान देता है, जो हिंसा और भेदभाव के प्रति उनकी कमजोरियों को कम करता है।

'सजग भारत' का यह अंक महिला सुरक्षा के प्रयासों पर केंद्रित है। आपकी प्रतिक्रियाओं का हमें इंतजार है। हमारा ईमेल है —sajag-bharat@bprd.nic.in

जय हिंद!

महानिदेशक, बीपीआरएंडडी

“पुलिस बलों को उनके नियमित कर्तव्यों के हिस्से के रूप में महिला सुरक्षा मामलों से निपटने के लिए तैयार करना एक अत्यंत महत्वपूर्ण कदम है। इसके लिए परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण अवधि से ही कर्मियों का लिंग संवेदीकरण आवश्यक है। विशिष्ट प्रशिक्षण कार्यक्रम पुलिस को लिंग आधारित हिंसा से अधिक प्रभावी ढंग से और संवेदनशीलता से निपटने के लिए सक्षम बनाते हैं।”



भारत की परमाणु शक्ति के साक्षी रहे राजस्थान के पोखरण में देश ने 'स्वदेशीकरण से सशक्तिकरण' का दम देखा। हमारे जांबाजों के शौर्य और पराक्रम की गूँज को पूरी दुनिया ने महसूस किया है।



श्री नरेन्द्र मोदी, प्रधानमंत्री



CAA से किसी की भी नागरिकता नहीं जा सकती, क्योंकि CAA नागरिकता देने का कानून है, नागरिकता लेने का नहीं।



श्री अमित शाह
केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री



माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने बिहार के बेतिया में 'विकसित भारत - विकसित बिहार' कार्यक्रम के अंतर्गत 12,800 करोड़ रुपये की विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण किया।



श्री नित्यानंद राय
केंद्रीय गृह राज्य मंत्री



Another #ModiKiGuarantee delivered. The Govt under the leadership of Hon'ble PM Sh@narendramodi ji, notifies the #CAA rules, making it possible for minorities persecuted for their religious beliefs in Pakistan, Bangladesh and Afghanistan to become citizens of India.



Shri Nisith Pramanik
MoS, Ministry of Home Affairs



प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनान्तर्गत 7.484 करोड़ की स्वीकृत लागत से निर्मित 7.125 किलोमीटर MRL-07 गोला अलीगंज गदियाना संपर्क मार्ग का लोकार्पण



श्री अजय मिश्रा
केंद्रीय गृह राज्य मंत्री



प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार देश में ड्रम्स के डिटेक्शन, नेटवर्क का नाश, दोषियों के डिटेक्शन और लत के शिकार के पुनर्वास के माध्यम से नशामुक्त भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रही है।



गृह मंत्रालय
भारत सरकार

महिलाओं के लिए बन रहा है सुरक्षित भारत



ब्यूरो

म

महिलाओं को पर्याप्त अवसर प्रदान करके उनका सशक्तिकरण, साथ ही उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करना भारत के विकास के लिए महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार इस यात्रा में कई कदम आगे बढ़ी है। महिला सशक्तिकरण का एक ज्वलंत उदाहरण श्रीमती द्रौपदी मुर्मू

हैं—जिनका जन्म आदिवासी समाज में हुआ था और 25 जुलाई, 2022 को राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेने के बाद वह देश की प्रथम नागरिक हैं।

पिछले एक दशक से प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने महिलाओं को सुरक्षा, सम्मान और विभिन्न सुविधाएं प्रदान करने का काम किया है। सोच-समझकर तैयार की गई योजनाएं, जैसे कि रसोई गैस कनेक्शन के लिए उज्ज्वला योजना, स्वच्छ शौचालयों के लिए स्वच्छता और घरेलू पानी के लिए जल जीवन ने न केवल महिलाओं



को गृहिणी के रूप में उनकी पारंपरिक भूमिका में मदद की है, बल्कि उनके आत्म-सम्मान और आत्मविश्वास को भी बढ़ाया है।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के मार्गदर्शन और केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह के नेतृत्व में गृह मंत्रालय ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए विभिन्न पहल शुरू की हैं और कानूनी संशोधन किए हैं। गृह मंत्रालय ने समाज में जागरूकता बढ़ाने के लिए व्यापक अभियान चलाए हैं, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि महिलाएं सुरक्षित हैं। इस दिशा में सुरक्षित परिवहन सुविधाएं प्रदान करने के लिए विशेष योजनाएं और महिलाओं के खिलाफ अपराधों के खिलाफ सख्त कार्रवाई शामिल हैं।

केंद्र सरकार ने महिला सुरक्षा बढ़ाने के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के सहयोग से कई परियोजनाएं शुरू की हैं। किसी देश में महिलाओं की सुरक्षा विभिन्न कारकों पर निर्भर करती है, जिसमें निवारण के लिए उपयुक्त कानून, प्रभावी न्याय वितरण, शिकायतों का समय पर निवारण और महिला पीड़ितों के लिए सुलभ संस्थागत सहायता शामिल है।

नए आपराधिक कानूनों-भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, भारतीय न्याय संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023- में महिलाओं के खिलाफ अपराध से निपटने और कड़ी दंडात्मक कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए विशेष प्रावधान हैं। ये तीनों नए कानून 1 जुलाई से लागू होंगे। महिलाओं के खिलाफ हिंसा की जांच करने और उनकी

सरकार महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है।

श्री अमित शाह
केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री

सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कानून प्रवर्तन एजेंसियों को सशक्त उपकरण दिए गए हैं।

इन कानूनों में संबोधित प्रमुख मुद्दों में से एक महिला को पहुंचाई गई मानसिक क्षति भी शामिल है। इसे अब 'क्रूरता' माना जाता है और यह भारतीय न्याय संहिता की धारा 86 के अंतर्गत आता है, जो अपराधी के लिए सजा का प्रावधान करता है। यदि किसी महिला को नुकसान पहुंचाया जाता है, उसका जीवन खतरे में पड़ता है, या उसका मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य खतरे में पड़ता है, तो अपराधी को तीन साल तक की जेल का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा, धारा 86 में कहा गया है कि किसी महिला को आत्महत्या के लिए उकसाना भी 'क्रूरता' है।

युवा लड़कियों को एक सुरक्षित वातावरण प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध, तीन नए आपराधिक कानून महिलाओं के खिलाफ जघन्य



महिला सुरक्षा के लिए विशेष फंड

समाज का विकास तभी हो सकता है, जब महिलाएं सुरक्षित हों। 21 फरवरी को प्रधानमंत्री, श्री नरेन्द्र मोदी की अगुवाई में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वर्ष 2021-22 से वर्ष 2025-26 के लिए ₹1,179.72 करोड़ के पर्याप्त आवंटन को मंजूरी दी है। यह 'महिलाओं की सुरक्षा' के लिए चलाई जा रही योजनाओं के लिए लाभकारी होगी। परियोजना पर होने वाले कुल व्यय में से ₹885.49 करोड़ गृह मंत्रालय अपने बजट से प्रदान करेगा जबकि ₹294.23 करोड़ निर्भया फंड से दिए जाएंगे। यह योजना 2021-22 से चल रही है। महिलाओं की सुरक्षा योजना के तहत वित्त पोषित परियोजनाओं में 112 आपातकालीन प्रतिक्रिया सहायता प्रणाली (ईआरएसएस) 2.0, केन्द्रीय फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशालाओं की वृद्धि, राष्ट्रीय फोरेंसिक डेटा सेंटर की स्थापना सहित उन्नयन शामिल होंगे।

करने की आवश्यकता है। महिला शिक्षा पर सामाजिक मानसिकता को बदलने और उन्हें आत्मनिर्भर नागरिक बनाने के लिए 'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ' जैसे अभियान शुरू किए गए हैं।

सरकार ने लोकसभा में मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) विधेयक, 2017 पारित कर दिया। यह अधिनियम किसी भी रूप में तीन तलाक या तलाक-ए-बिद्दत को अवैध बनाता है। ऐसी स्थितियों में मजबूर मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों की रक्षा करता है। यह अधिनियम केवल एक एसएमएस या व्हाट्सएप संदेश से पत्नियों को तलाक देने की मनमानी प्रथा को समाप्त करता है। उन विवाहित मुस्लिम महिलाओं को सशक्त बनाने की शुरुआत करता है, जो ऐसी घटनाओं में असहाय महसूस करती हैं।

वर्ष 2014 में लाल किले की प्राचीर से अपने पहले स्वतंत्रता दिवस भाषण में, प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने कहा था, 'माता-पिता अपनी बेटियों से पूछते हैं कि अगर वे देर से घर आती हैं तो वे कहाँ थीं, लेकिन क्या वे अपने बेटों से भी ऐसा ही पूछते हैं? आखिरकार बलात्कार जैसा जघन्य अपराध करने वाला किसी का बेटा ही होता है। माता-पिता के रूप में, क्या हमने अपने बेटों से पूछा है कि वे कहाँ जा रहे हैं? जब हम अपनी बेटियों से सवाल करते हैं, तो हम अपने बेटों के लिए समान मानक क्यों नहीं लागू करते?'

बतौर प्रधानमंत्री अपने पहले स्वतंत्रता दिवस भाषण में इसका उल्लेख करना श्री नरेन्द्र मोदी के मन में महिला सुरक्षा और लैंगिक समानता के प्रति गहरी चिंता को दर्शाता है। इस दृष्टिकोण के साथ, श्री मोदी ने यह सुनिश्चित किया है कि महिला सुरक्षा का मुद्दा सरकार की नीति निर्माण, शासन और एजेंडे का एक अभिन्न अंग है। ■

अपराधों में शामिल लोगों के लिए कड़ी सजा देने का प्रावधान करते हैं। अब, 16 साल से कम उम्र की लड़की से बलात्कार की सजा के तौर पर 20 साल की जेल होगी। साथ ही इसे अपराधी के शेष जीवन की अवधि तक के लिए कारावास बढ़ाया जा सकता है। 12 वर्ष से कम उम्र की लड़की के साथ बलात्कार के मामले में, अपराधी को उसके शेष जीवन के लिए कारावास की सजा दी जाएगी अथवा मौत की सजा दी जाएगी।

महिला पुलिस स्वयंसेवक और 'हिम्मत' नाम का महिला सुरक्षा ऐप महिलाओं को उनके घर के अंदर और बाहर दोनों जगह सुरक्षा प्रदान करने की सरकार की प्रतिबद्धता को मजबूत करता है। मानव तस्करी (रोकथाम, पुनर्वास, संरक्षण) विधेयक 2018 सबसे कमजोर व्यक्तियों, विशेषकर महिलाओं और बच्चों को प्रभावित करने वाले जघन्य अपराधों से निपटने के लिए समाधान प्रदान करता है।

केंद्र सरकार हर क्षेत्र में महिलाओं के लिए बेहतर और सुरक्षित अवसर सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। इसने महिलाओं के लिए एक महत्वपूर्ण नई योजना शुरू की है- कृषि को बढ़ावा देने और अतिरिक्त आय उत्पन्न करने के लिए 'नमो ड्रोन दीदी' कार्यक्रम। यह योजना ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं को सशक्त बनाती है और देश की श्रम शक्ति के हिस्से के रूप में अपना सक्रिय योगदान देकर उन लोगों को हतोत्साहित करती है, जो महिलाओं के प्रति नकारात्मक दृष्टिकोण रखते हैं। भारत के लोकतंत्र में राष्ट्रीय विकास और प्रगति में योगदान देने के लिए, महिलाओं को अपने पुरुष समकक्षों के बराबर स्वीकार

महिला सुरक्षा को बढ़ाती है लैंगिक संवेदनशीलता



पुलिस में लैंगिक संवेदनशीलता को लागू करना महिला सुरक्षा प्रयासों की कुंजी है। इसमें महिलाओं के खिलाफ हिंसा में हुई हिंसा के लिए सख्त दंड हो। राज्यों को महिलाओं से जुड़े मुद्दों पर अपने कानून प्रवर्तन की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करने, त्वरित प्राथमिकी पंजीकरण सुनिश्चित करने तथा पीड़ितों के लिए समय पर चिकित्सा जांच सुनिश्चित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।

ब्यूरो

स

माज में महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान सुनिश्चित करना वास्तव में बुनियादी पुलिसिंग के सर्वोपरि कर्तव्यों में से एक है। महिलाओं के खिलाफ हिंसा को संबोधित करने और उनकी सार्वजनिक गतिविधियों में भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए लैंगिक संवेदनशीलता के संग पुलिसिंग बेहद महत्वपूर्ण है। यह न केवल महिलाओं में आत्मविश्वास पैदा करता है, बल्कि समाज में समग्र सुरक्षा और न्याय की भावना को भी बढ़ावा देता है।

7 फरवरी को राज्यसभा में एक सवाल का जवाब देते हुए केंद्रीय गृह राज्य मंत्री श्री नित्यानंद राय ने कहा था कि सरदार वल्लभभाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी, हैदराबाद में और शिलांग में उत्तर पूर्वी पुलिस अकादमी जैसी राष्ट्रीय पुलिस अकादमियों में लैंगिक

संवेदीकरण प्रशिक्षण मॉड्यूल का एक अभिन्न अंग बन गया है।

श्री राय ने कहा कि सरदार वल्लभभाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी द्वारा भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों को लैंगिक संबंधी मुद्दों पर संवेदनशील बनाने के लिए बुनियादी पाठ्यक्रम प्रशिक्षण, मध्य-करियर प्रशिक्षण और पाठ्यक्रमों के दौरान विशेष पाठ्यक्रम शामिल करके महत्वपूर्ण प्रयास किए जा रहे हैं। ये मॉड्यूल पुलिस स्टेशनों के कामकाज और जांच की प्रक्रिया, केस अध्ययन तथा महिलाओं के खिलाफ हिंसा एवं अपराध से संबंधित केस कानूनों के साथ-साथ ऐसे अपराधों की जांच में वैज्ञानिक सहायता के लिए प्रक्रियाओं में लैंगिक संवेदनशीलता को कवर करते हैं।

इसके अतिरिक्त, यौन उत्पीड़न संरक्षण (POSH) अधिनियम, महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा के लिए रणनीतिक प्रबंधन, महिला सुरक्षा के पहलू, महिलाओं के खिलाफ हिंसा एवं अपराध से संबंधित

के संग पुलिसिंग



“महिला पुलिसकर्मियों की मौजूदगी से लोगों, विशेषकर महिलाओं में आत्मविश्वास की भावना पैदा होती है। वे स्वाभाविक रूप से महिला कर्मियों से अधिक जुड़ाव महसूस करते हैं।

श्री अमित शाह
केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री

कानूनी प्रावधान, हिंसा और अपराध के पीड़ितों के उचित प्रबंधन पर जोर दिया जाता है। श्री राय ने कहा कि पुलिस में सेवारत महिलाओं के लिए एक मॉडल नीति के साथ-साथ पुलिस नेतृत्व में उनकी भूमिका के साथ-साथ साइबर अपराधियों से महिलाओं और बच्चों को होने वाले खतरों से कैसे निपटा जाए, इस पर भी ध्यान केंद्रित किया गया है।

सरदार वल्लभभाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी में लैंगिक संवेदनशीलता को बढ़ावा देने के लिए विशेष पहलों के तहत प्रतिभागियों को क्षेत्र दौरे कराए जाते हैं। इन दौरों का उद्देश्य पुलिसकर्मियों को जमीनी हकीकत से अवगत कराना और उन्हें लिंग-संबंधी मुद्दों पर संवेदनशील बनाना है। इसी प्रकार, शिलांग में उत्तर पूर्वी पुलिस अकादमी ने भी लिंग संवेदनशीलता पर 13 पाठ्यक्रम आयोजित किए

वन-स्टॉप सेंटर्स

वन स्टॉप सेंटर (ओएससी) का उद्देश्य निजी और सार्वजनिक स्थानों पर हिंसा से प्रभावित महिलाओं की सहायता करना है। उम्र, वर्ग, जाति, शिक्षा स्थिति, वैवाहिक स्थिति, नस्ल और संस्कृति की परवाह किए बिना शारीरिक, यौन, भावनात्मक, मनोवैज्ञानिक और आर्थिक शोषण का सामना करने वाली महिलाओं को इन केंद्रों पर समर्थन तथा निवारण की सुविधा प्रदान की जाती है।

चिकित्सा, कानूनी और मनोवैज्ञानिक सहायता सहित सेवाओं की एक एकीकृत श्रृंखला तक पहुंच की सुविधा के लिए राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों में ओएससी की स्थापना की गई है। इन्हें मौजूदा हेल्पलाइन के साथ एकीकृत किया गया है।

निम्नलिखित सेवाओं तक पहुंच

- राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम), 108 सेवा, पुलिस (पीसीआर वैन) जैसे मौजूदा तंत्रों को जोड़कर हिंसा से प्रभावित महिलाओं के लिए आपातकालीन प्रतिक्रिया और बचाव सेवाएं ताकि हिंसा से प्रभावित महिला को स्थान से बचाया जा सके और निकटतम पुलिस स्टेशन/अस्पताल में भेजा जा सके।
- हिंसा से प्रभावित पीड़ित महिलाओं के लिए चिकित्सा सुविधा (सार्वजनिक/निजी) या आश्रय गृहों को चिकित्सा सहायता/जांच के लिए निकटतम अस्पताल में भेजा जाएगा, जो केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा विकसित दिशानिर्देशों और प्रोटोकॉल के अनुसार किया जाएगा।
- महिलाओं को एफआईआर दर्ज कराने में सहायता।
- मनोवैज्ञानिक-सामाजिक सहायता/परामर्श कॉल पर उपलब्ध होगा। यह परामर्श प्रक्रिया महिलाओं को हिंसा से निपटने या जारी हिंसा के लिए न्याय पाने के लिए आत्मविश्वास और समर्थन देगी।
- कानूनी सहायता और कानूनी परामर्श पैनेल में शामिल वकीलों या राष्ट्रीय/राज्य/जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण के माध्यम से प्रदान किया जाएगा। पीड़ित महिला को उसकी पसंद का वकील उपलब्ध कराया जाएगा।
- पीड़ित महिला को अस्थायी आश्रय की सुविधा दी जाएगी। दीर्घकालिक आश्रय आवश्यकताओं के लिए, सरकार/एनजीओ से प्रबंधित/संबद्ध स्वधार गृह/अल्प प्रवास गृहों के साथ व्यवस्था की जाएगी।
- त्वरित और परेशानी मुक्त पुलिस और अदालती कार्यवाही की सुविधा के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुविधा। केंद्र वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुविधा (स्काइप, गूगल कॉन्फ्रेंसिंग आदि के माध्यम से) प्रदान करेगा। इस सुविधा के माध्यम से, पीड़ित महिला ऑडियो-वीडियो इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों का उपयोग करके पुलिस/अदालतों के लिए अपना बयान दर्ज करा सकती है।



हैं, जिनमें 2021-2023 के दौरान 317 पुलिसकर्मियों को प्रशिक्षित किया गया है। केन्द्रीय जासूस प्रशिक्षण संस्थान (सीडीटीआई) और केन्द्रीय पुलिस प्रशिक्षण अकादमी (सीएपीटी) ने लिंग-संबंधी मुद्दों पर संवेदनशीलता के लिए 2023-24 के दौरान नौ पाठ्यक्रम आयोजित किए हैं और 407 कर्मियों को प्रशिक्षित किया है।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 24 अक्टूबर, 2021 को अपने मासिक कार्यक्रम 'मन की बात' में कहा था कि पुलिसिंग में लैंगिक संवेदनशीलता की अत्यधिक आवश्यकता है। उन्होंने पुलिस बलों में

पुरुष और महिला कर्मियों के बीच समानता बनाने पर भी जोर दिया। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि केन्द्र सरकार पुलिस बलों में महिला कर्मियों की संख्या बढ़ाने की इच्छुक है। प्रधानमंत्री ने कहा था कि पहले यह माना जाता था कि सेना और पुलिस में सेवाएं केवल पुरुषों के लिए होती हैं। पिछले कुछ वर्षों में मानसिकता बदली है, अब महिला पुलिसकर्मियों की संख्या दोगुनी हो गई है। वर्ष 2014 में, उनकी संख्या 1,05,000 के करीब थी, लेकिन 2020 तक यह दोगुनी से अधिक 2,15,000 हो गई।



अपनी बातों को आगे बढ़ाते हुए प्रधानमंत्री ने कहा था कि केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में भी, पिछले सात वर्षों में महिलाओं की संख्या लगभग दोगुनी हो गई है। आज देश की बेटियां कठिन से कठिन कर्तव्य भी पूरी ताकत और जोश से निभा रही हैं। उदाहरण के लिए, कई लोग वर्तमान में विशेष जंगल युद्ध कमांडो के लिए प्रशिक्षण ले रहे हैं, जो सबसे कठिन प्रशिक्षण में से एक है। वे कोबरा बटालियन का हिस्सा होंगे।

प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कहा, 'महिला कर्मियों की उपस्थिति लोगों, विशेषकर महिलाओं में आत्मविश्वास की भावना पैदा करती है। वे स्वाभाविक रूप से महिला सुरक्षा कर्मियों से जुड़ाव महसूस करते हैं।'

प्रधानमंत्री श्री मोदी ने अपने 'मन की बात' में यह भी कहा था कि महिलाओं में संवेदनशीलता के कारण लोग उन पर अधिक भरोसा करते हैं। उन्होंने कहा, 'देश भर में महिला पुलिसकर्मी हमारे लाखों लोगों के लिए आदर्श बन रही हैं। मैं महिला पुलिसकर्मियों से अनुरोध करना चाहूंगा कि वे अपने क्षेत्रों में स्कूलों का दौरा करें और छात्राओं को प्रेरित करें, इससे लड़कियों में पुलिस बलों में शामिल होने के लिए रुचि पैदा होगी।'

पुलिस बलों में लैंगिक संवेदनशीलता को बढ़ावा देने के लिए एक अनूठी पहल में, गृह मंत्रालय ने महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने

के उपायों को मजबूत करने में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रयासों को पूरा करने के प्राथमिक उद्देश्य के साथ महिला सहायता डेस्क योजना की भी संकल्पना की है। इस योजना के तहत, देश भर के पुलिस स्टेशनों में डब्ल्यूएचडी स्थापित किए गए हैं, जिसमें प्रत्येक थाने को ₹1 लाख की राशि मिलती है। अब तक, देश के कुल 16,469 पुलिस स्टेशनों में से 13,557 महिला सहायता डेस्क स्थापित किए जा चुके हैं। महिला सहायता डेस्क योजना का उद्देश्य पुलिस स्टेशनों को अधिक महिला-अनुकूल और पहुंच योग्य बनाना है और पुलिस स्टेशन में आने वाली किसी भी महिला के लिए संपर्क के पहले और एकल बिंदु के रूप में कार्य करना है। उनके पास वकीलों, मनोवैज्ञानिकों और गैर सरकारी संगठनों जैसे विशेषज्ञों का एक सूचीबद्ध पैनेल है, जो बाहरी सहायता प्राप्त करने के लिए आश्रय, पुनर्वास और प्रशिक्षण प्रदान कर सकता है।

सार के रूप में, पुलिसिंग में लैंगिक संवेदनशीलता वाले कर्मियों को प्रशिक्षित करने का यह व्यापक दृष्टिकोण महिलाओं के लिए एक सुरक्षित और अधिक सहायक वातावरण बनाने के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय के समर्पण को दर्शाता है। साथ ही यह भी सुनिश्चित करता है कि कानून प्रवर्तन लिंग-संबंधी मुद्दों को प्रभावशीलता एवं संवेदनशीलता के साथ संभालने में कुशल है।

एसिड पीड़िता के लिए विशेष बातें

मलहम: महिलाओं पर एसिड अटैक समाज में सबसे जघन्य अपराधों में से एक है। प्रभावित महिलाओं को कैसे राहत दी जाए और कैसे जांच की जाए, अपराधी को पकड़ा जाए और कैसे दंडित किया जाए, यह बेहद महत्वपूर्ण है। पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो ने ऐसी स्थिति से निपटने के लिए विस्तृत सिफारिशें की हैं, जिनमें शामिल हैं:

एसिड की अवैध खरीद-फरोख्त पर रोक जरूरी: खरीददारों के पहचान पत्र के बिना कोई भी एसिड नहीं बेचा जाना चाहिए। खरीददारों का रिकॉर्ड रखा जाना चाहिए और खरीद का मकसद पता होना चाहिए। एसिड लेन-देन के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल स्थापित किया जाना चाहिए।

जांच प्रोटोकॉल: सख्त निगरानी के लिए एसओपी विकसित को जानी चाहिए, जैसे डिकॉय ऑपरेशन और बिट्टी बिंदुओं पर सीसीटीवी तैनात करना।

पीड़ित सहायता और मुआवजा: पीड़ित मुआवजा योजना के तहत आमतौर पर राशि कम होती है। अक्सर इसमें देरी होती है। यह अनुशांसा की जाती है कि इस तरह के मुआवजे में तेजी लाई जाए और अपराध और आपराधिक ट्रैकिंग नेटवर्क और सिस्टम (सीसीटीएनएस) के माध्यम से निगरानी की जाए। इसके अतिरिक्त राज्य को एसिड पीड़िता का तत्काल और मुफ्त इलाज सुनिश्चित करना चाहिए। इसमें न केवल जीवित रहने

के लिए आवश्यक सर्जरी, बल्कि बाद की पुनर्स्थापना सर्जरी भी शामिल होनी चाहिए। एसिड हमले के पीड़ितों के लिए प्राथमिक चिकित्सा के बारे में जागरूकता की उल्लेखनीय कमी है; इसलिए, स्वास्थ्य विभाग को सोशल मीडिया पर लघु वीडियो ट्यूटोरियल बनाना और वितरित करना चाहिए।

रोजगार और पुनर्वास: ठीक होने के बाद, पीड़ितों को सामाजिक जुड़ाव और वर्जनाओं को दूर करने की जरूरत है। इसके लिए उन्हें स्वतंत्र होने की आवश्यकता है और पीड़ितों को रोजगार खोजने में मदद करने के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण और छोटे ऋण सुनिश्चित किए जाने चाहिए। पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो के नेशनल पुलिस मिशन डिवीजन ने अपनी सिफारिशों में सरकारी विभागों से पीड़ितों को विकलांगता कोटा और उससे आगे के तहत नौकरियां देने का आग्रह किया।

सार्वजनिक जागरूकता और शिक्षा: सूचना और प्रसारण मंत्रालय को एसिड हमलों के बारे में वृत्तचित्र बनाने चाहिए और महिलाओं के लिए सम्मान बढ़ाना चाहिए।

एकीकृत सहायता प्रणालियां: मौजूदा हेल्पलाइन प्रणालियों के भीतर एसिड हमले के मामलों के लिए एक समर्पित डेस्क होना चाहिए। ओएससी को मनोचिकित्सीय परामर्श सहित व्यापक सहायता प्रदान करनी चाहिए।

महिला सुरक्षा: केन्द्र सरकार



ब्यूरो

केन्द्रीय गृह मंत्रालय ने महिला सुरक्षा को लेकर कई प्रयास किए हैं। इसमें महिलाओं के लिए सुरक्षित और न्यायपूर्ण माहौल के लिए नई कानूनी नीतियों और कार्यक्रमों की शुरुआत शामिल है। साथ ही, महिला पुलिस को विशेष ट्रेनिंग और समर्थन प्रदान किया जा रहा है, ताकि वे अपराध के मामलों में निष्पक्ष और सक्षम ढंग से कार्रवाई कर सकें। विभिन्न योजनाएं शुरू की हैं। इन प्रयासों का उद्देश्य है महिलाओं के सामाजिक, आर्थिक और शारीरिक सुरक्षा को सुनिश्चित करना और उन्हें समाज में समानता और सम्मान के साथ जीने में सहायता प्रदान करना।

19 सितंबर 2023 का दिन भारतीय संसद के इतिहास में स्वर्णाक्षरों में लिखा जाएगा। नई संसद में पहली बार कामकाज हुआ और वर्षों से लंबित महिलाओं को आरक्षण का अधिकार देने वाला बिल सदन में पेश हुआ। केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री, श्री अमित शाह ने इसके लिए प्रधानमंत्री, श्री नरेन्द्र मोदी के प्रति आभार प्रकट करते हुए कहा कि उन्होंने 140 करोड़ की आबादी में 50 प्रतिशत हिस्से वाली मातृशक्ति को सच्चे अर्थों में सम्मानित करने का काम किया है। अब देश की महिलाएं न केवल नीतियों में भागीदार बनेंगी, बल्कि नीतियों के निर्धारण में भी अपना योगदान देंगी।

श्री अमित शाह ने कहा कि केन्द्र सरकार के लिए महिला सशक्तिकरण

नारी शक्ति दृढ़ता, इच्छा-शक्ति, परिकल्पना, लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए काम करने की क्षमता और कठोर परिश्रम का परिचायक है, जैसा कि 'मातृ शक्ति' में परिलक्षित होता है। ये गुण इस सदी में भारत की उड़ान और उसकी गति बढ़ाने में प्रमुख भूमिका निभा रहे हैं।

श्री नरेन्द्र मोदी, प्रधानमंत्री

मान्यता का मुद्दा है। महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान और सहभागिता श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में सरकार की श्वास और प्राण बने हुए हैं। उन्होंने कहा कि 2014 में अपने पहले भाषण में प्रधानमंत्री ने कहा था कि उनकी सरकार दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों, महिलाओं की सरकार है।

कई मौकों पर केन्द्रीय गृह मंत्री ने महिलाओं की सुरक्षा को लेकर बात की है। अगस्त, 2023 में जब भारत की आपराधिक न्याय प्रणाली में सुधार के लिए लोकसभा में तीन विधेयक पेश किए गए, उस समय में केन्द्रीय गृह मंत्री ने महिला सुरक्षा को सरकार की प्राथमिकता बताते हुए कहा था

की सर्वोच्च प्राथमिकता

देश में महिलाओं की सुरक्षा बढ़ाने के लिए गृह मंत्रालय ने कई कदम उठाए। यौन हमलों के मामलों में समय से जांच पूरी करने सहित महिला सुरक्षा से जुड़े मुद्दों के प्रति राज्यो/ संघ शासित क्षेत्रों को संवेदनशील बनाने के लिए एक अलग महिला सुरक्षा इकाई की स्थापना भी की है।

कि नए कानूनों में महिलाओं और बच्चों के खिलाफ होने वाले अपराधों को रोकने के लिए कड़े प्रावधान किए गए हैं। उन्होंने बताया कि नए कानूनों में बलात्कार पर 20 साल की कैद की सजा का प्रावधान किया गया है, वहीं नाबालिग से बलात्कार पर मृत्यु दंड का प्रावधान है। यौन हमलों के घृणित मामलों के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए भारत सरकार ने आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम, 2018 के माध्यम से बलात्कार की सजा को ज्यादा कठोर कर दिया है।

आईटीएसएसओ और एनडीएसओ

प्रधानमंत्री श्री मोदी ने सुनिश्चित किया है कि महिला सुरक्षा उनकी सरकार के नीति निर्माण, शासन और एजेंडे का एक अभिन्न अंग है। राष्ट्र ने कुछ अग्रणी घोषणाएं देखी हैं, जो महिलाओं की गरिमा और भलाई सुनिश्चित करती हैं। महिला-केंद्रित विकास पर ध्यान केंद्रित करते हुए कई घोषणाएं की गई हैं, जिनमें से कुछ ने भारत में महिला सुरक्षा को बदल दिया है।

गृह मंत्रालय ने जमीनी स्तर पर इन संशोधनों के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए कई कदम उठाए हैं और उनकी प्रगति की लगातार निगरानी कर रहा है। उनमें यौन अपराधों के लिए जांच ट्रैकिंग सिस्टम (आईटीएसएसओ), यौन अपराधियों का राष्ट्रीय डेटाबेस (एनडीएसओ), क्राइम-मैक (क्राइम मल्टी-एजेंसी सेंटर) आदि शामिल हैं। ये पहल समय पर और प्रभावी जांच में सहायता करती हैं।

यौन अपराधों के लिए जांच निगरानी प्रणाली (आईटीएसएसओ) एक ऑनलाइन विश्लेषणात्मक साधन है, जिसे यौन हमलों के मामलों में पुलिस जांच की निगरानी और समयबद्ध तरीके से पूरा किए जाने (आपराधिक कानून (संशोधन) अधिनियम, 2018 के तहत वर्तमान में यह दो महीने है) के लिए लॉन्च किया गया है। वहीं, यौन अपराधियों के राष्ट्रीय डेटाबेस (एनडीएसओ) को बार-बार अपराध करने वालों की पहचान करने और साथ ही जांच में यौन अपराधियों पर अलर्ट हासिल करने के लिए पेश

112 आपातकालीन प्रतिक्रिया सहायता प्रणाली (ईआरएसएस)

- ईआरएसएस ने देश में वन-नेशन, वन-इमरजेंसी नंबर सुविधा को शुरू किया है।
- राष्ट्रीय औसत प्रतिक्रिया समय 20 मिनट है (जुलाई, 2023 तक)।
- सभी 28 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 112 को चालू कर दिया गया है।
- अब तक 27.10 करोड़ से अधिक कॉल्स को हैंडल किया जा चुका है।
- लगभग 11.23 लाख उपयोगकर्ताओं ने 112 इंडिया ऐप डाउनलोड किया है।
- 112 आपातकालीन प्रतिक्रिया सहायता प्रणाली (ईआरएसएस) को सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में 139 रेल मदद के साथ एकीकृत कर दिया गया है।
- कुल पंजीकृत 112 इंडिया ऐप उपयोगकर्ताओं में से 46% से अधिक महिलाएं हैं।
- 112 आपातकालीन प्रतिक्रिया सहायता प्रणाली (ईआरएसएस) को 1078 राष्ट्रीय आपदा हेल्पलाइन के साथ 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में एकीकृत कर दिया गया है।

किया गया। स्पष्ट रूप से, प्रधानमंत्री जी का स्वतंत्रता दिवस पर यह कहना महिलाओं की सुरक्षा और लैंगिक समानता के लिए उनकी गहरी चिंता को दर्शाता है। इस विचार के साथ उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि महिला सुरक्षा उनकी सरकार के पॉलिसी मेकिंग, गवर्नेंस और एजेंडे का एक अभिन्न हिस्सा है। राष्ट्र ने कुछ पथ-प्रदर्शक घोषणाएं देखीं, जो आधी आबादी की गरिमा और कल्याण को सुनिश्चित करती हैं, जो कई वर्षों से सिर्फ प्रतीकवाद था। महिला केंद्रित विकास को सेंटर में रखकर कई घोषणाएं की गई हैं। ऐसी कुछ घोषणाओं ने भारत में महिलाओं के लिए सुरक्षा को संभावित रूप से बदल दिया है। प्रधानमंत्री की सोच के अनुरूप बीते दशक में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इस संबंध में कई कदम उठाए हैं।

महिलाओं के खिलाफ साइबर अपराधों की रोकथाम

केंद्रीय गृह मंत्रालय का महिलाओं और बच्चों के खिलाफ साइबर



श्री अमित शाह
केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री

विधि एवं न्याय मंत्रालय के न्याय विभाग द्वारा कार्यान्वित, एफटीएससी की केंद्र प्रायोजित योजना देश भर में एफटीएससी की स्थापना के लिए राज्य सरकार के संसाधनों को बढ़ाती है, जिससे दुष्कर्म और पोक्सो

14 सजग भारत 1-31 मार्च, 2024



अधिनियम से संबंधित मामलों का त्वरित निपटान सुनिश्चित होता है।

तीस राज्यों/केंद्र-शासित प्रदेशों ने इस योजना में भाग लिया है और 414 विशिष्ट पोक्सो अदालतों सहित 761 एफटीएससी की शुरुआत की है, जिन्होंने 1,95,000 से अधिक मामलों का निपटारा किया है। ये अदालतें यौन अपराधों के पीड़ितों को समय पर न्याय प्रदान करने के राज्य/केंद्र-शासित प्रदेश के सरकार के प्रयासों का समर्थन करती हैं। समर्पित अदालतों के रूप में डिजाइन किए गए एफटीएससी से अपेक्षा की जाती है कि वे यौन अपराधियों के लिए निवारक ढांचे को मजबूत करते हुए और पीड़ितों को त्वरित राहत प्रदान करते हुए जल्दी न्याय सुनिश्चित करेंगे। यह यौन और लैंगिक आधार पर होने वाली हिंसा को समाप्त करने के प्रति देश की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। न्यायिक प्रणाली को काम के बोझ से राहत दिलाते हुए, दुष्कर्म और पोक्सो अधिनियम के लंबित मामलों को काफी हद तक कम करता है। बेहतर सुविधाओं और त्वरित सुनवाई के माध्यम से यौन अपराधों के पीड़ितों के लिए न्याय की सुलभता सुनिश्चित करता है।

किसी देश में महिलाओं की सुरक्षा कई कारकों का परिणाम होती है, जैसे सख्त कानूनों के माध्यम से कठोर निवारण, न्याय की प्रभावी डिलीवरी, समय पर शिकायतों का निवारण और पीड़िताओं के लिए आसानी से सुलभ संस्थागत सहायता संरचनाएं। भारतीय दंड संहिता, आपराधिक प्रक्रिया संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम में संशोधन के माध्यम से महिलाओं के खिलाफ अपराधों से संबंधित मामलों में सख्त निवारण व्यवस्था प्रदान की गई है। महिला सुरक्षा की दिशा में अपने प्रयासों में, भारत सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के सहयोग से कई परियोजनाएं शुरू की हैं। इन परियोजनाओं के उद्देश्यों में महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामले में समय पर हस्तक्षेप और जांच सुनिश्चित करने और ऐसे मामलों में जांच और अपराध की रोकथाम में उच्च दक्षता सुनिश्चित

प्रस्तावित परियोजनाएं

भारत सरकार ने 'महिलाओं की सुरक्षा' की समग्र योजना के तहत निम्नलिखित परियोजनाओं को जारी रखने का प्रस्ताव दिया है:

- 112 आपातकालीन प्रतिक्रिया सहायता प्रणाली (ईआरएसएस) 2.0।
- राष्ट्रीय फोरेंसिक डेटा केंद्र की स्थापना सहित केन्द्रीय फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशालाओं का उन्नयन।
- राज्य फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशालाओं (एफएसएल) में डीएनए विश्लेषण, साइबर फोरेंसिक क्षमताओं को मजबूत करना।
- महिलाओं और बच्चों के विरुद्ध साइबर अपराध की रोकथाम।
- महिलाओं और बच्चों के खिलाफ यौन उत्पीड़न के मामलों से निपटने के लिए जांचकर्ताओं और अभियोजकों का क्षमता-निर्माण और प्रशिक्षण।
- महिला सहायता डेस्क एवं मानव तस्करी विरोधी इकाइयां।

करने के लिए राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में व्यवस्था को मजबूत करना शामिल है। भारत सरकार महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है और इससे जुड़ी कई परियोजनाएं निर्माणधीन हैं, जिससे राज्य/ संघ शासित क्षेत्र न सिर्फ रहने के लिए सुरक्षित होंगे, बल्कि देश की महिलाएं स्वतंत्र रूप से रहने के लिए सशक्त भी बनेंगी।

नारी शक्ति वंदन अधिनियम : भारतीय



ब्यूरो

भारत की विकास यात्रा में महिलाओं के सशक्तिकरण का विषय काफी गहराई के साथ जुड़ा हुआ है। इसे स्वीकार करते हुए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने 'नारी शक्ति' को अपने एजेंडे में सबसे आगे रखा है। प्रधानमंत्री श्री मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं।

पिछले 10 वर्षों में, केंद्र सरकार ने कई कल्याणकारी योजनाएं शुरू की हैं, जिनका उद्देश्य महिलाओं को सशक्त बनाना और उन्हें भारत की विकास यात्रा का एक अभिन्न अंग बनाना है। इस यात्रा में एक मील का पत्थर नारी शक्ति वंदन अधिनियम (महिला आरक्षण अधिनियम) के पारित होने से हासिल हुआ, जो लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए कुल सीटों में से एक-तिहाई सीटें आरक्षित करता है।

केंद्र सरकार का मानना है कि महिलाओं के नेतृत्व वाला विकास भारत की प्रगति का केंद्रीय आयाम है और इससे देश को मजबूत करने की आवश्यकता है। सरकार इस दिशा में अनेक कदम उठा रही है ताकि

संसद में नारी शक्ति वंदन अधिनियम के पारित होने के साथ, हमने पूरे भारत में महिलाओं के मजबूत प्रतिनिधित्व और सशक्तिकरण के युग की शुरुआत की है। यह महज एक विधान नहीं है; यह उन अनगिनत महिलाओं को श्रद्धांजलि है, जिन्होंने राष्ट्र निर्माण में योगदान दिया है। भारत उनके लचीलेपन और योगदान से समृद्ध हुआ है।

श्री नरेन्द्र मोदी, प्रधानमंत्री

महिलाओं को सशक्त किया जा सके और वे विभिन्न क्षेत्रों में नेतृत्व की भूमिका निभा सकें।

विधायी मील का पत्थर

21 सितंबर, 2023 को संसद में नारी शक्ति वंदन अधिनियम-2023 के पारित होने के साथ लैंगिक समानता और राजनीतिक समावेशिता की

विकास यात्रा में साबित होगा मील का पत्थर

भारत की खोज में एक ऐतिहासिक मील का पत्थर साबित हुआ। यह राजनीतिक क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार की दृढ़ प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

प्रधानमंत्री श्री मोदी ने विधेयक के पारित होने को महिलाओं को सशक्त बनाने और भारत के राजनीतिक परिदृश्य में उनके नेतृत्व को बढ़ावा देने की दिशा में एक परिवर्तनकारी कदम बताया। उन्होंने रेखांकित किया कि कानून न केवल प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करता है, बल्कि महिलाओं के लिए नीति और शासन को आकार देने के नए रास्ते भी खोलता है। उन्होंने कहा, "एक चीज जो देश को आगे ले जाएगी वह है महिला नेतृत्व वाला विकास।"

केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने 'नारी शक्ति वंदन अधिनियम' के महत्व को रेखांकित करते हुए इसे देश भर में महिलाओं को सशक्त बनाने के केंद्र सरकार के प्रयासों की परिणति बताया है। उन्होंने महिलाओं के अधिकारों की वकालत करने में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की सराहना की और 'प्रधानमंत्री जन धन योजना' जैसी पहल के परिवर्तनकारी प्रभाव पर प्रकाश डाला, जिसने बैंक खातों के माध्यम से वित्तीय सेवाओं तक पहुंच प्रदान करके लाखों महिलाओं को सशक्त बनाया है।

श्री अमित शाह ने कहा कि 19 सितंबर, 2023, भारतीय संसद के इतिहास में एक ऐतिहासिक दिन के रूप में याद किया जाएगा। गणेश चतुर्थी के शुभ अवसर पर महिला आरक्षण विधेयक की शुरुआत भारत के विधायी ढांचे में लैंगिक समानता के एक नए युग का प्रतीक है। श्री अमित शाह ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की सराहना की, जिनके मार्गदर्शन में महिला सशक्तिकरण के प्रयासों को एक नई दिशा मिली है। केंद्र सरकार

की ये पहलें महिलाओं को समाज में सशक्त बनाने के साथ-साथ देश की प्रगति में भी महत्वपूर्ण योगदान दे रही हैं।

भविष्य की संभावनाएं और सामाजिक प्रभाव

नारी शक्ति वंदन अधिनियम न केवल महिलाओं के राजनीतिक प्रतिनिधित्व को बढ़ाने का वादा करता है, बल्कि इसका उद्देश्य अधिक समावेशी और न्यायसंगत समाज को बढ़ावा देना भी है। इस अधिनियम के तहत विधायी निकायों में महिलाओं के लिए 33% सीटें आरक्षित की गई हैं, जो महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी को सुनिश्चित करती हैं और उन्हें नीति-निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाने का अवसर प्रदान करती हैं।

यह अधिनियम महिलाओं के सशक्तिकरण और उनके राजनीतिक प्रतिनिधित्व को बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इसके माध्यम से महिलाओं को नेतृत्व की भूमिकाओं में आने का अवसर मिलेगा और वे समाज के विकास में अधिक प्रभावी ढंग से योगदान कर सकेंगी। इस अधिनियम का उद्देश्य एक समावेशी और न्यायसंगत समाज का निर्माण करना है, जहां हर महिला को समान अवसर और अधिकार प्राप्त हों। जैसा कि भारत ने व्यापक लैंगिक सशक्तिकरण की दिशा में अपनी यात्रा जारी रखी है, नारी शक्ति वंदन अधिनियम जैसी पहल यह सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण हैं कि महिलाएं देश के भविष्य को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएं। यह कानून लैंगिक समानता के प्रति देश की प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है और महिलाओं को सशक्त बनाने और सामाजिक विकास को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से प्रगतिशील सुधारों के लिए एक मिसाल कायम करता है। ■

आरक्षण के माध्यम से सशक्तिकरण

नारी शक्ति वंदन अधिनियम लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए सभी सीटों में से एक तिहाई आरक्षित करना चाहता है। आरक्षित सीटों का आवंटन संसद के सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया जाएगा। लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीटों की कुल संख्या का एक तिहाई उन समूहों की महिलाओं के लिए आरक्षित होगा। इस संशोधन अधिनियम के लागू होने के 15 वर्ष बाद महिलाओं के लिए सीटों का आरक्षण समाप्त हो जाएगा। महिला आरक्षण विधेयक का कार्यान्वयन विशिष्ट चरणों पर निर्भर है। नई जनगणना के प्रकाशन और परिसीमन कार्य के पूरा होने के बाद आरक्षण लागू किया जाना तय है।



महिला सुरक्षा में कोताही की गुंजाइश नहीं



ब्यूरो

दे

श में महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देने के उद्देश्य से सरकार ने विभिन्न कानूनी प्रावधान और कानून स्थापित किए हैं। हाल ही में संसद से बने तीन नए कानूनों में भी इस बात का विशेष ध्यान रखा गया है। भारतीय न्याय संहिता ने यौन अपराधों से निपटने के लिए 'महिलाओं और बच्चों के प्रति अपराध' नामक एक नया अध्याय पेश किया है। कानून में नाबालिग बच्चियों के साथ दुष्कर्म के मामले को पॉक्सो के साथ सुसंगत किया गया है और ऐसे अपराधों में आजीवन कारावास या मृत्युदंड का प्रावधान किया गया है। सामूहिक दुष्कर्म के सभी मामलों में 20 वर्ष की सजा या आजीवन कारावास का प्रावधान है। नाबालिग के साथ सामूहिक दुष्कर्म को एक नए अपराध की श्रेणी में रखा गया है। धोखे से यौन संबंध बनाने या विवाह करने के सच्चे इरादे के बिना विवाह करने का वादा करने वालों पर लक्षित दंड का प्रावधान है।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार समय और जरूरतों के अनुसार महिला सुरक्षा को लेकर नए-नए प्रावधान लाती रही है। तीन नए कानून में भी इसका विशेष ख्याल रखा गया है।

इससे पहले भी सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा एवं संरक्षा से संबंधित परियोजनाओं के लिए निर्भया कोष की स्थापना की है, जिसके लिए महिला एवं बाल विकास मंत्रालय निर्भया कोष के तहत वित्तपोषित किए जाने वाले प्रस्तावों/योजनाओं का मूल्यांकन/सिफारिश करने हेतु नोडल प्राधिकरण है। राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों की सुविधा के लिए, गृह मंत्रालय ने आपराधिक कानून (संशोधन) अधिनियम 2018 के अनुसार, यौन उत्पीड़न मामलों में समयबद्ध जांच की निगरानी और ट्रैक करने के लिए 19 फरवरी 2019 को

पुलिस के लिए 'यौन अपराधों के लिए जांच ट्रेकिंग प्रणाली' नामक एक ऑनलाइन विश्लेषणात्मक उपकरण लॉन्च किया। महिलाओं से जुड़ी अश्लील सामग्री पर रोक लगाने के लिए केंद्र सरकार ने कई कदम उठाए हैं। इन कदमों का उद्देश्य इंटरनेट और अन्य माध्यमों पर महिलाओं की अश्लील और अभद्र सामग्री के प्रसार को रोकना है, जिससे महिलाओं की गरिमा और सुरक्षा को संरक्षित किया जा सके।

केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा संसद में इसकी जानकारी दी गई कि गृह मंत्रालय ने यौन उत्पीड़न के मामलों में फोरेंसिक साक्ष्य एकत्र करने तथा यौन उत्पीड़न साक्ष्य संग्रह किट में मानक संरचना के लिए दिशा-निर्देश जारी किया हुआ है। जांच अधिकारियों, अभियोजन अधिकारियों तथा चिकित्सा अधिकारियों के लिए जनशक्ति प्रशिक्षण तथा कौशल निर्माण कार्यक्रम शुरू किए गए हैं। पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो, लोक नारायण जयप्रकाश नारायण राष्ट्रीय अपराध विज्ञान एवं फोरेंसिक विज्ञान संस्थान द्वारा फोरेंसिक साक्ष्यों के संग्रह, संचालन तथा परिवहन में हजारों अधिकारियों को प्रशिक्षित किया जा चुका है। भारत सरकार कार्यशालाओं, सांस्कृतिक कार्यक्रमों, संगोष्ठियों, प्रशिक्षण कार्यक्रमों, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में विज्ञापनों आदि के माध्यम से महिलाओं और उनके अधिकारों से संबंधित विभिन्न कानूनों पर जागरूकता सृजन कार्यक्रम और प्रचार अभियान चलाती है। हिंसा का सामना करने वाली महिलाओं के लिए, मनोवैज्ञानिक-सामाजिक और मानसिक स्वास्थ्य देखभाल की जरूरतों के साथ वन स्टॉप सेंटर स्थापित किए गए हैं, जिनकी संकटग्रस्त महिलाओं को सहायता की जरूरत हो सकती है और कठिन परिस्थितियों या अभाव का सामना करने वाली महिलाओं के लिए स्वाधार गृह स्थापित किए गए हैं।

उल्लेखनीय यह भी है कि महिला एवं बाल विकास मंत्रालय इस दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है और उसने कई विशेष कानूनों की देखरेख की है। इसमें शामिल हैं, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005; दहेज निषेध अधिनियम, 1961; महिलाओं का अभद्र चित्रण (निषेध) अधिनियम, 1986; कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 और बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006 का प्रशासन कर रहा है। उक्त मंत्रालय किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015, बाल अधिकार संरक्षण आयोग



अधिनियम, 2005 और यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम, 2012 की भी देखरेख कर रहा है।

इतना ही नहीं, राजधानी दिल्ली में तेजस्विनी महिला सुरक्षा एवं सशक्तिकरण अभियान एक महत्वपूर्ण पहल है, जिसका उद्देश्य महिलाओं की सुरक्षा को बढ़ावा देना और उन्हें सशक्त बनाना है। यह अभियान महिलाओं के खिलाफ हिंसा को रोकने, उन्हें आत्मरक्षा के लिए प्रशिक्षित करने और उनके अधिकारों के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए विभिन्न कार्यक्रमों और गतिविधियों का आयोजन करता है। महिलाओं को सुरक्षित सार्वजनिक क्षेत्र और शिकायत निवारण प्रणाली प्रदान करने के लिए दिल्ली के अधिक आवाजाही वाले क्षेत्रों में पिक बूथ स्थापित किए गए हैं। छात्राओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पूरी राजधानी में स्कूलों और कॉलेजों के पास 500 से अधिक पीसीआर वैन भी तैनात की गई हैं। उल्लेखनीय है कि दिल्ली पुलिस की ओर से 10 जुलाई, 2021 को तेजस्विनी योजना की शुरुआत की गई थी। ■

उन्नत सुरक्षा उपायों से सशक्त हुई महिलाएं

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के अनुसार, जब केंद्र सरकार ने अधिक सुरक्षा का माहौल उपलब्ध कराया, तो सरकारी योजनाओं का लाभ महिलाओं तक पहुंचने लगा। इसका सीधा असर महिलाओं के जीवन स्तर पर पड़ा। अपने वक्तव्य में केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने कहा था कि 2014 में जब मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने, उस वक्त देश के 70 करोड़ लोग ऐसे थे जिनके घरों में बैंक खाता नहीं था। जन-धन योजना शुरू की और बैंक खाता खोलने का अभियान चलाया, जिसके परिणामस्वरूप 52 करोड़ बैंक खाते खोले गए जिनमें से 70 प्रतिशत बैंक खाते माताओं के नाम से खोले गए। जब घर में शौचालय नहीं होता है तो सबसे ज्यादा तकलीफ युवा पुत्री, बहन और मां को होती है। केंद्र सरकार ने पहले 5 साल के अंदर ही 11 करोड़ 72 लाख शौचालय बना दिए, जिनसे माताओं, बहनों और बेटियों का सम्मान और सशक्तिकरण हुआ। सरकार द्वारा 3 करोड़ 18 लाख सुकन्या समृद्धि खाते खोले, 3 करोड़ महिलाओं को मातृ वंदन योजना के तहत फायदा पहुंचाया और लगभग 26 सप्ताह का मातृत्व अवकाश स्वीकृत करने का काम किया। श्री शाह ने कहा कि दुनियाभर में आज महिला पायलट्स की संख्या 5 प्रतिशत है जबकि भारत में यह 15 प्रतिशत है, इसे सशक्तिकरण कहते हैं।



संबंधों को दी नई शक्ति कई मुद्दों पर हुए समझौते

ब्यूरो

भा रत और भूटान का द्विपक्षीय संबंध सभी स्तरों पर विश्वास, सद्भावना और परस्पर समझ, मैत्री के मजबूत बंधन और लोगों के बीच निकट संपर्कों द्वारा परिलक्षित है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी और प्रधानमंत्री श्री दाशो शेरींग टोबगे के बीच थिम्पू में 21-22 मार्च को सार्थक और व्यापक चर्चा हुई, जिसमें दोनों नेताओं ने इस असाधारण द्विपक्षीय साझेदारी को भविष्य में नई ऊंचाइयों पर ले जाने की प्रतिबद्धता दोहराई।

दोनों प्रधानमंत्रियों ने द्विपक्षीय ऊर्जा सहयोग के सभी पहलुओं की समीक्षा की और इस बात पर संतोष व्यक्त किया कि संयुक्त रूप से कार्यान्वित की गई परियोजनाएं अच्छी तरह से काम कर रही हैं और भूटान के आर्थिक विकास में योगदान दे रही हैं। 720 मेगावाट की मंगदेछू

पनबिजली परियोजना की सफलता के आधार पर, दोनों नेता इस वर्ष 1020 मेगावाट की पुनात्सांगछू-II पनबिजली परियोजना को चालू करने के लिए उत्सुक हैं। दोनों पक्षों ने 1200 मेगावाट पुनात्सांगछू-I एचईपी के लिए तकनीकी रूप से सुदृढ़ और किफायती रूप से आगे बढ़ने के बारे में सकारात्मक विशेषज्ञ-स्तरीय चर्चा का स्वागत किया। दोनों नेताओं ने भूटान के पनबिजली क्षेत्र के विकास और क्षेत्र को ऊर्जा सुरक्षा प्रदान करने में स्वच्छ ऊर्जा साझेदारी के शानदार योगदान को स्वीकार किया। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने ऊर्जा परियोजनाओं के कार्यान्वयन की दिशा में भूटान की कंपनियों और तकनीकी एजेंसियों की बढ़ती घरेलू क्षमता की सराहना की। प्रधानमंत्री श्री टोबगे ने हाल के वर्षों में भारत के नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में हुई उल्लेखनीय वृद्धि और अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन और भारत के राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन जैसी पहल को बढ़ावा देने में नेतृत्वकारी भूमिका के लिए प्रधानमंत्री श्री मोदी को बधाई

भारत-भूटान का रिश्ता भरोसे पर आधारित है। संसदीय चुनावों की घोषणा के बाद किसी भी प्रधानमंत्री के लिए विदेश यात्रा करना आसान नहीं होता है, लेकिन प्रधानमंत्री श्री मोदी ने दोनों देशों के बीच दोस्ती, आपसी विश्वास और सद्भावना को अपनी यात्रा से और अधिक मजबूत किया है।



दी। दोनों नेताओं ने बहुआयामी द्विपक्षीय संबंधों के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की और नवीकरणीय ऊर्जा, कृषि, युवाओं के आदान-प्रदान, पर्यावरण एवं वानिकी तथा पर्यटन जैसे क्षेत्रों में सहयोग को और बढ़ाने पर सहमति जताई। भारत और भूटान के बीच दीर्घकालिक और असाधारण संबंध हैं, जिनमें सभी स्तरों पर अत्यधिक विश्वास, सद्भावना और आपसी समझ शामिल है। बैठक से पहले, प्रधानमंत्री श्री मोदी और भूटान के प्रधानमंत्री ने ऊर्जा, व्यापार, डिजिटल कनेक्टिविटी, अंतरिक्ष, कृषि, युवा संपर्क आदि से संबंधित विभिन्न समझौता ज्ञापनों/समझौतों के आदान-प्रदान के साक्षी बने।

इसी दिन प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने भूटान नरेश श्री जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक से मुलाकात की। प्रधानमंत्री और भूटान के नरेश ने घनिष्ठ एवं विलक्षण भारत-भूटान मैत्री पर परम संतोष व्यक्त किया। प्रधानमंत्री ने दोनों देशों के बीच मित्रता और सहयोग के घनिष्ठ संबंधों को आकार देने में लगातार ड्रुक ग्यालपो द्वारा प्रदान किए गए मार्गदर्शक विजन की सराहना की। इस मुलाकात ने द्विपक्षीय सहयोग के संपूर्ण आयामों की समीक्षा करने का अवसर प्रदान किया। दोनों नेताओं ने यह स्मरण करते हुए कि भूटान के लिए भारत और भारत के लिए भूटान एक स्थायी वास्तविकता है, इस महत्वपूर्ण परिवर्तनकारी साझेदारी को

आगे बढ़ाने के तरीकों पर चर्चा की। भारत व भूटान के बीच मैत्री और सहयोग के अनूठे संबंध हैं, जो परस्पर विश्वास एवं समझ द्वारा लगातार नए आयाम को गढ़ रहे हैं।

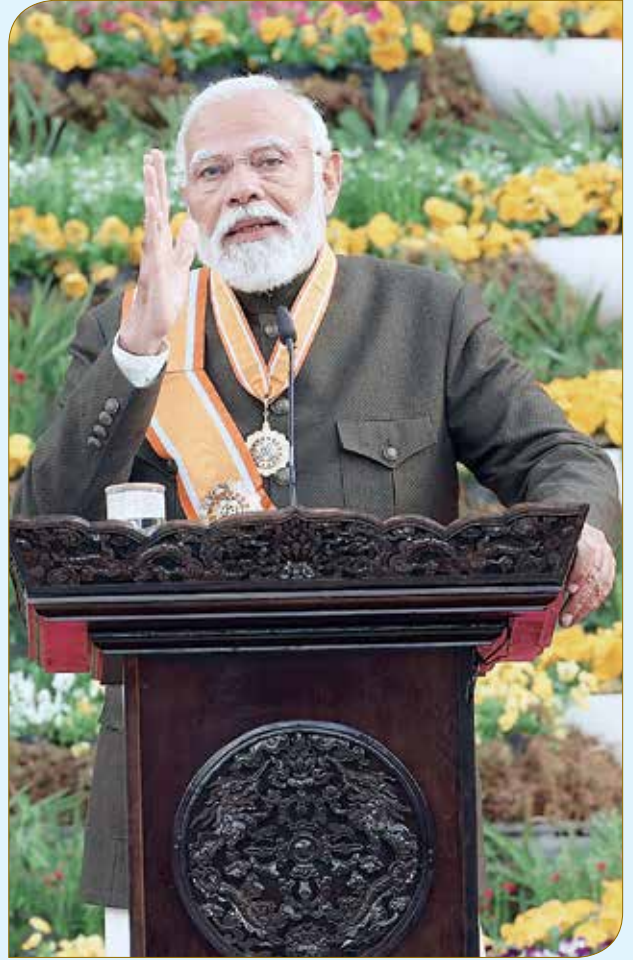
इससे पहले 15 मार्च को भूटान के प्रधानमंत्री श्री शेरिंग टोबगे भारत की यात्रा पर आए थे। फरवरी 2024 में पदभार ग्रहण करने के बाद अपनी पहली विदेश यात्रा पर भारत आए भूटान के प्रधानमंत्री का प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने स्वागत किया था। दोनों नेताओं ने अपनी विशिष्ट द्विपक्षीय मित्रता को और मजबूत बनाने की प्रतिबद्धता जताई। दोनों नेताओं ने बुनियादी ढांचे के विकास, संपर्क, ऊर्जा, जलविद्युत सहयोग, लोगों के बीच आदान-प्रदान और विकास सहयोग सहित द्विपक्षीय साझेदारी के



विभिन्न क्षेत्रों में प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने भारत-भूटान की विशिष्ट और अद्वितीय मित्रता को और मजबूत बनाने की अपनी प्रतिबद्धता की भी पुष्टि की। भूटान के प्रधानमंत्री ने भूटान की विकासात्मक प्राथमिकताओं में एक विश्वसनीय, महत्वपूर्ण और भरोसेमंद भागीदार के रूप में भारत की असाधारण भूमिका की सराहना की।

भूटान में अब एक नई सरकार है। ऐसे में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की यह यात्रा भारत के लिए भूटान की जरूरतों और प्राथमिकताओं से प्रेरित मजबूत विकास साझेदारी के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दोहराने का एक अवसर रहा। गौर करने योग्य यह भी है कि भारत की ओर से भूटान के विकास में सहयोग की शुरुआत 1960 के दशक से ही हो गई थी। भारत ने भूटान की 12वीं पंचवर्षीय योजना के लिए ₹5,000 करोड़ देने का वादा किया, जिससे उसे 600 से अधिक परियोजनाओं को लागू करने में मदद मिली। इसने इस वर्ष लागू हुई 13वीं योजना के लिए सहायता को और बढ़ाने का वादा किया है। जलविद्युत सहयोग इसकी असाधारण विशेषता बनी हुई है, भारत ने अब तक भूटान में चार प्रमुख जलविद्युत परियोजनाओं का निर्माण किया है। भारत भूटान का शीर्ष व्यापारिक भागीदार और निवेश का मुख्य स्रोत बना हुआ है, जिसका एफडीआई में योगदान 50 फीसदी है। अंतरिक्ष, फिनटेक और ई-लर्निंग जैसे नए क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर भी ध्यान दिया गया है।

अपनी दो दिवसीय यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री श्री मोदी ने थिम्पू को विकास कार्यों में भारत के पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया और उसे अगले पांच साल में ₹10,000 करोड़ की सहायता मुहैया करने का संकल्प लिया। श्री मोदी ने भूटान के प्रधानमंत्री श्री शेरींग टोबगे के साथ थिम्पू में भारत के सहयोग से निर्मित महिलाओं और बच्चों के लिए एक आधुनिक अस्पताल का उद्घाटन भी किया। सोशल मीडिया पर भूटान के राजा श्री जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक द्वारा लिंगकाना पैलेस में भारतीय प्रधानमंत्री की मेजबानी, रात्रि भोज और भूटान के राजकुमारों के साथ शानदार पल की तस्वीर की प्रशंसा की गई। यात्रा संपन्न के दौरान भूटान नरेश के साथ ही प्रधानमंत्री, अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री श्री मोदी को विदा करने आए। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने 'एक्स'



पर एक पोस्ट में कहा कि दिल्ली के लिए प्रस्थान करते समय मुझे विदा करने के लिए महामहिम भूटान नरेश श्री जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक के हवाई अड्डे पर आने से मैं सम्मानित महसूस कर रहा हूँ। यह भूटान की बहुत खास यात्रा रही।

प्रधानमंत्री को 'ऑर्डर ऑफ द ड्रुक ग्यालपो' से सम्मानित किया गया

टेंड्रेलथांग, थिम्पू में आयोजित एक सार्वजनिक समारोह में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी को भूटान के राजा द्वारा भूटान के सर्वोच्च नागरिक सम्मान 'ऑर्डर ऑफ द ड्रुक ग्यालपो' से सम्मानित किया गया। प्रधानमंत्री श्री मोदी पहले विदेशी नेता हैं, जिन्हें ये प्रतिष्ठित पुरस्कार दिया गया है। उल्लेखनीय है कि भूटान के राजा ने दिसंबर 2021 में ताशीछोडजोंग, थिम्पू में आयोजित भूटान के 114वें राष्ट्रीय दिवस समारोह के दौरान ये पुरस्कार देने की घोषणा की थी। ये पुरस्कार भारत-भूटान की मित्रता को सुदृढ़ करने में प्रधानमंत्री श्री मोदी के योगदान और उनके जन केंद्रित नेतृत्व को मान्यता देता है। इसके प्रशस्ति पत्र में उल्लेख है कि यह पुरस्कार श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में एक वैश्विक शक्ति के रूप में भारत के उभरने का सम्मान करता है और भारत के साथ भूटान के विशेष संबंध को सेलिब्रेट करता है। प्रधानमंत्री श्री मोदी के नेतृत्व ने भारत को परिवर्तन के पथ पर अग्रसर किया है और भारत का नैतिक आधिपत्य और वैश्विक कद बढ़ा है। सम्मान प्राप्त करने के बाद प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि यह पुरस्कार भारत के 1.4 अरब लोगों को दिया गया सम्मान है और दोनों देशों के विशेष और अद्वितीय संबंधों का प्रमाण है। पूर्व में स्थापित रैकिंग और परंपरा के अनुसार, ऑर्डर ऑफ द ड्रुक ग्यालपो को लाइफटाइम अचीवमेंट के एक अलंकरण के तौर पर स्थापित किया गया था और ये भूटान का सर्वोच्च सम्मान है, जो सब सम्मानों, अलंकरणों और पदकों में सर्वोपरि है।

सेमीकंडक्टर हब बन रहा है भारत

ब्यूरो

प्र

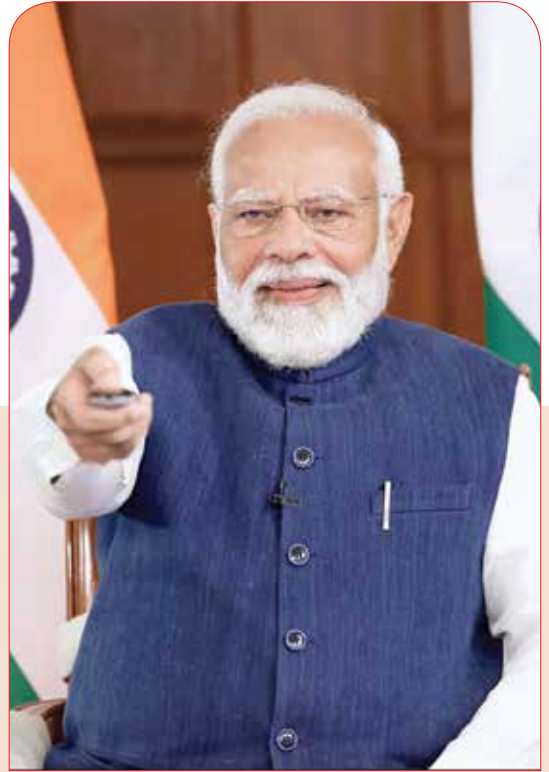
धानमंत्री, श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा 'इंडियाज टेकेड: चिप्स फॉर विकसित भारत' कार्यक्रम के तहत सेमीकंडक्टर डिजाइन, विनिर्माण और प्रौद्योगिकी विकास के लिए वैश्विक केंद्र की स्थापना का एक महत्वपूर्ण कदम है। प्रधानमंत्री, श्री नरेन्द्र मोदी ने 13 मार्च, 2024 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से लगभग ₹1.25 लाख करोड़ की तीन सेमीकंडक्टर परियोजनाओं की आधारशिला रखी। यह पहल स्वदेशी सेमीकंडक्टर क्षमताओं को बढ़ावा देने और देश के आर्थिक विकास को गति देने के लिए महत्वपूर्ण है। इस प्रयास से न केवल उत्कृष्ट प्रौद्योगिकी विकास होगा, बल्कि यह भारतीय उद्योग को ग्लोबल स्तर पर मजबूत करने में भी महत्वपूर्ण योगदान देगा।

असल में, देश के युवाओं के लिए रोजगार के अवसरों के सृजन को बढ़ावा देने के लिए भारत को सेमीकंडक्टर डिजाइन, विनिर्माण और प्रौद्योगिकी विकास के वैश्विक केंद्र के रूप में स्थापित करना प्रधानमंत्री का प्रयास रहा है। इसी प्रयास के तहत, गुजरात में धोलेरा विशेष निवेश क्षेत्र (डीएसआईआर) में सेमीकंडक्टर निर्माण केंद्र; असम के मोरीगांव में आउटसोर्स सेमीकंडक्टर असंबली और टेस्ट (ओएसएटी) केंद्र और गुजरात के साणंद में आउटसोर्स सेमीकंडक्टर असंबली और टेस्ट (ओएसएटी) केंद्र की आधारशिला रखी गई। भारत में सेमीकंडक्टर फैब्स की स्थापना के लिए संशोधित योजना के तहत गुजरात में धोलेरा विशेष निवेश क्षेत्र (डीएसआईआर) में सेमीकंडक्टर निर्माण केंद्र की स्थापना टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड (टीईपीएल) करेगा। ₹91,000 करोड़ से अधिक के कुल निवेश के साथ यह देश का पहला वाणिज्यिक सेमीकंडक्टर फैब होगा।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने इस अवसर को सेमीकंडक्टर हब के रूप में भारत की क्षमता को साकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर बताया। उन्होंने आत्मनिर्भरता और आधुनिकीकरण की दिशा में भारत की यात्रा में सेमीकंडक्टर विनिर्माण की महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर दिया, तकनीकी नवाचार को चलाने और देश की वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाने में 'मेड इन इंडिया' और 'डिजाइन्ड इन इंडिया' चिप्स के महत्व पर जोर दिया।

प्रधानमंत्री ने कोरोना महामारी के कारण उत्पन्न व्यवधानों के मद्देनजर सेमीकंडक्टर विनिर्माण में भारत के प्रवेश की रणनीतिक अनिवार्यता पर प्रकाश डाला। सेमीकंडक्टर उत्पादन में वर्तमान में केवल कुछ ही देशों का वर्चस्व है। इस क्षेत्र में भारत की मजबूत उपस्थिति से एक नई शुरुआत होगी।

सेमीकंडक्टर विनिर्माण के लिए अनुकूल वातावरण को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार की प्रतिबद्धता को रेखांकित करते हुए, प्रधानमंत्री, श्री मोदी ने व्यापार करने में आसानी को बढ़ावा देने और विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए किए गए विभिन्न नीतिगत उपायों की रूपरेखा तैयार की। इन उपायों में नियमों का सरलीकरण, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश



वह दिन दूर नहीं जब भारत सेमीकंडक्टर क्षेत्र में वैश्विक शक्ति बन जाएगा।

श्री नरेन्द्र मोदी, प्रधानमंत्री

नीतियों का उदारीकरण और बड़े पैमाने पर इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण को प्रोत्साहित करने के लिए उत्पादन-लिंक प्रोत्साहन (पीएलआई) योजनाओं का कार्यान्वयन शामिल है।

प्रधानमंत्री ने दुनिया में दूसरे सबसे बड़े मोबाइल निर्माता के रूप में देश की स्थिति का हवाला देते हुए, इलेक्ट्रॉनिक्स और हार्डवेयर विनिर्माण में भारत की बढ़ती प्रगति पर भी प्रकाश डाला। उन्होंने नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की स्थापना और भारत के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिशन के विस्तार सहित प्रौद्योगिकी अपनाने और नवाचार को बढ़ावा देने में केंद्र सरकार की पहल पर जोर दिया।

इस कार्यक्रम में ताइवान के सेमीकंडक्टर उद्योग के खिलाड़ियों की आभासी उपस्थिति देखी गई, जो भारत के बढ़ते सेमीकंडक्टर उद्योग की अंतरराष्ट्रीय मान्यता का संकेत है। इस कार्यक्रम ने भारत के सेमीकंडक्टर क्षेत्र को अभूतपूर्व विकास और वैश्विक प्रमुखता की ओर ले जाने के लिए केंद्र सरकार की प्रतिबद्धता की पुष्टि की।

रक्षा जरूरतों में आत्मनिर्भर होता भारत

ब्यूरो



वदेशी रक्षा कौशल के शानदार प्रदर्शन में प्रधानमंत्री, श्री नरेन्द्र मोदी ने 12 मार्च को राजस्थान के पोखरण में भारत शक्ति नामक त्रि-सेवा लाइव फायर और युद्धाभ्यास देखा। इस अभ्यास में घरेलू हथियार प्रणालियों और प्लेटफार्मों की एक प्रभावशाली श्रृंखला का प्रदर्शन किया गया, जो रक्षा में आत्मनिर्भरता की दिशा में भारत की यात्रा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है।

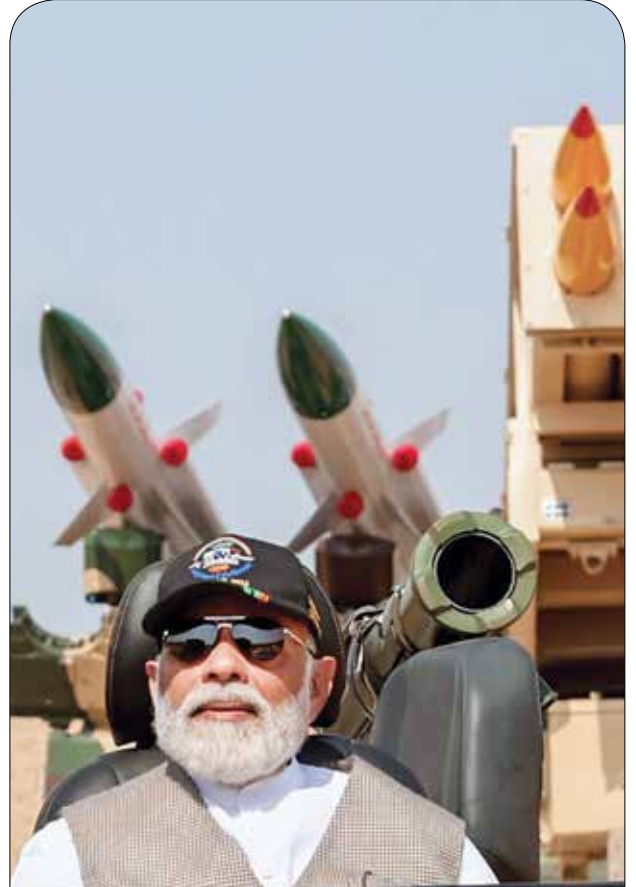
यह कार्यक्रम देश की आत्मनिर्भरता पहल पर आधारित था। इस कार्यक्रम में यथार्थवादी, समन्वित, बहु-डोमेन संचालन का प्रदर्शन किया गया, जिसमें भूमि, वायु, समुद्र, साइबर और अंतरिक्ष डोमेन में भारतीय सशस्त्र बलों की एकीकृत परिचालन क्षमताओं का प्रदर्शन किया गया। अभ्यास में प्रदर्शित प्रमुख उपकरण और हथियार प्रणालियों में टी-90 (आईएम) टैंक, धनुष और सारंग गन सिस्टम, आकाश हथियार प्रणाली, लॉजिस्टिक्स ड्रोन, रोबोटिक खच्चर, उन्नत हल्के हेलीकॉप्टर (एएलएच) और विभिन्न मानव रहित हवाई वाहन शामिल हैं, जो जमीनी युद्ध का और भारतीय सेना की हवाई निगरानी क्षमताओं का प्रदर्शन करते हैं।

प्रधानमंत्री, श्री नरेन्द्र मोदी ने इस प्रदर्शन को नये भारत के विकसित होते लोकाचार का प्रमाण बताया। उन्होंने स्वदेशी रक्षा क्षमताओं के रणनीतिक महत्व पर प्रकाश डालते हुए आत्मनिर्भरता के महत्व और बाहरी स्रोतों पर निर्भरता कम करने के महत्व पर जोर दिया।

प्रधानमंत्री ने रक्षा सहित विभिन्न क्षेत्रों में आत्मनिर्भरता के लिए भारत की प्रतिबद्धता दोहराई, नीतिगत सुधारों, निजी क्षेत्र की भागीदारी और सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) स्टार्टअप के लिए समर्थन की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने स्वदेशी उत्पादन को बढ़ावा देने में सशस्त्र बलों के प्रयासों की सराहना की और रक्षा गलियारों और विनिर्माण सुविधाओं में महत्वपूर्ण निवेश की घोषणा की। प्रधानमंत्री, श्री नरेन्द्र मोदी ने लड़ाकू जेट, विमान वाहक, परिवहन विमान और उन्नत उड़ान इंजन के विकास सहित उल्लेखनीय उपलब्धियों पर भी प्रकाश डाला। उन्होंने 2014 के बाद से निर्यात में आठ गुना वृद्धि के साथ भारत के सबसे बड़े रक्षा आयातक से तेजी से बढ़ते रक्षा निर्यातक बनने का भी उल्लेख किया।

प्रधानमंत्री, श्री मोदी की टिप्पणियों ने समाधानों के साथ समकालीन और भविष्य की चुनौतियों का सामना करने की भारत की तत्परता को रेखांकित किया, वैश्विक मंच पर भारत की घरेलू रक्षा क्षमताओं में लचीलापन, नवाचार और ताकत पर जोर दिया।

भारत शक्ति अभ्यास रक्षा में आत्मनिर्भरता की दिशा में भारत की प्रगति का एक प्रमाण है, जो अपनी संप्रभुता को सुरक्षित रखने और रक्षा नवाचार में वैश्विक नेता के रूप में अपनी स्थिति को मजबूत करने के



प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने स्वदेशी रक्षा क्षमताओं के रणनीतिक महत्व पर प्रकाश डालते हुए आत्मनिर्भरता के महत्व और बाहरी स्रोतों पर निर्भरता कम करने के महत्व पर जोर दिया।

देश के दृढ़ संकल्प को प्रदर्शित करता है। इस अवसर पर केंद्रीय रक्षा मंत्री, श्री राजनाथ सिंह, राजस्थान के मुख्यमंत्री, श्री भजन लाल शर्मा, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, जनरल अनिल चौहान, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, जनरल मनोज पांडे, चीफ ऑफ एयर फोर्स स्टाफ, एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी और चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल आर हरि कुमार उपस्थित थे। ■

देश में सशक्त हुआ एंटी-नारकोटिक्स तंत्र

ब्यूरो

कें

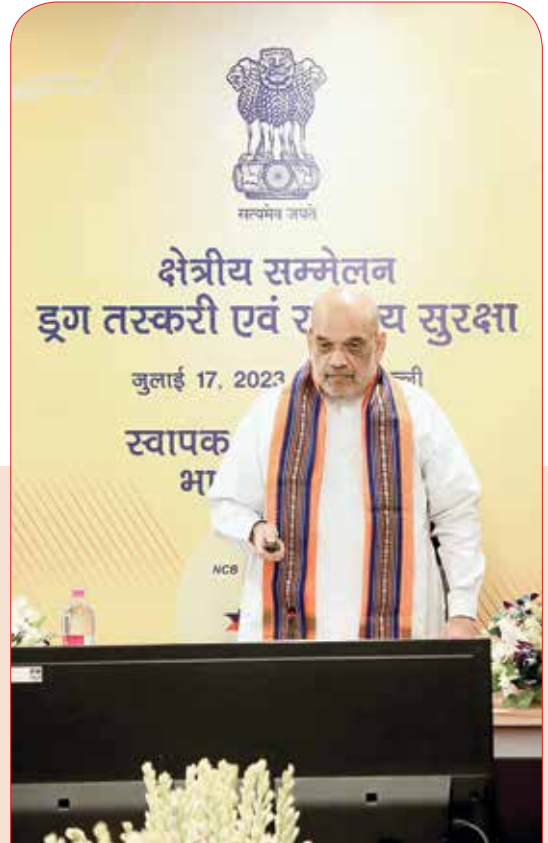
द्र सरकार ने नशे की समस्या के समाधान के लिए कई पहल की हैं। इसका मुख्य उद्देश्य देश को नशामुक्त बनाना है और नशेबाज युवाओं को समाज में पुनः समाहित करना है। सरकार ने ड्रग्स के संदर्भ में अधिक प्रभावी नीतियों और तंत्रों का अनुसरण किया है। इसमें नशे का तत्काल पता लगाने के लिए तकनीकी उपकरणों का उपयोग और सुधार किया गया है। नशा फैलाने वाले नेटवर्क को खत्म करने के लिए कड़ी कार्रवाई की जा रही है। नशा फैलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई के लिए एकत्रित प्रमाण को समेकित करने के लिए सरकार ने कानूनी कदम उठाए हैं। सरकार ने नशा मुक्त भारत के लिए अनेक योजनाएं शुरू की हैं, जैसे कि नशा मुक्ति के केंद्रों की स्थापना, नशे से प्रभावित लोगों के पुनर्वास में मदद और सामाजिक संगठनों और सरकारी योजनाओं के माध्यम से नशे की समस्या का समाधान किया है।

सरकार के इन प्रयासों का लाभ मिलता दिख रहा है। तीन मार्च, 2024 को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने ड्रग्स के खतरे से निपटने में केंद्र सरकार की सफलता के बारे में तीन वीडियो जारी किए। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री, श्री अमित शाह ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट और वीडियो की एक श्रृंखला जारी की।

अपने एक पोस्ट में श्री अमित शाह ने कहा कि नार्को-ट्रेड के प्रति केंद्र सरकार की कठोर अप्रोच के प्रभावी परिणाम सामने आए हैं और इसके कारण गिरफ्तारियों की संख्या और जब्त की जाने वाली ड्रग्स की मात्रा में वृद्धि हुई है। एक अन्य पोस्ट में केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री, श्री अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के मार्गदर्शन में सरकारों और एजेंसियों के बीच समन्वय, सहयोग और सामंजस्य से देशभर में एक सशक्त एंटी-नारकोटिक्स तंत्र का निर्माण हुआ है और इस रणनीति से पकड़े जाने वाली ड्रग्स और दर्ज किए जाने वाले मामलों में बढ़ोतरी हुई है।

प्रधानमंत्री, श्री नरेन्द्र मोदी के नशा मुक्त भारत के दृष्टिकोण को पूरा करने के लिए ड्रग्स के खिलाफ कार्रवाई करने वाली केंद्रीय और राज्यों की एजेंसियों के बीच बेहतर तालमेल के लिए 2019 में चार स्तरीय नारको समन्वय केंद्र (एनसीओआरडी) तंत्र को मजबूत किया गया था।

श्री अमित शाह ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में एक नशामुक्त भारत हमारी भावी पीढ़ियों को महानतम



प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार देश में ड्रग्स के डिटेक्शन, नेटवर्क का विनाश, दोषियों के डिटेक्शन और नशे की लत के शिकार लोगों के पुनर्वास के माध्यम से नशामुक्त भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रही है।

श्री अमित शाह
केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री

सौगात है। उन्होंने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में केंद्र सरकार देश में ड्रग्स के डिटेक्शन, नेटवर्क का विनाश, दोषियों के डिटेक्शन और नशे की लत के शिकार लोगों के पुनर्वास के माध्यम से नशामुक्त भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रही है। ■

दुनिया की उम्मीद पर खरा उतरता है भारत

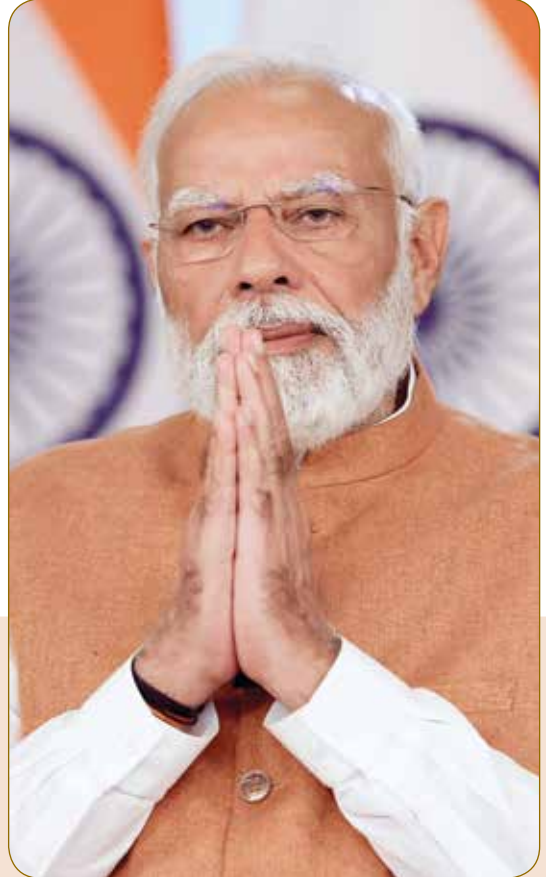
ब्यूरो

प्रधानमंत्री श्री मोदी ने 20 मार्च, 2024 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से लोकतंत्र पर आयोजित शिखर सम्मेलन को संबोधित किया था। इस शिखर सम्मेलन को पूरी दुनिया के लोकतंत्रों के लिए अनुभवों के आदान-प्रदान और एक-दूसरे से सीखने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच बताते हुए, प्रधानमंत्री ने लोकतंत्र के प्रति भारत की गहरी प्रतिबद्धता को दोहराते हुए कहा कि भारत में लोकतंत्र की एक प्राचीन और अटूट संस्कृति मौजूद है। यह भारतीय सभ्यता लोकतंत्र की जीवंत शक्ति भी रही है। उन्होंने यह भी कहा कि सर्वसम्मति निर्माण, खुला संवाद और स्वतंत्र विचार-विमर्श भारत के पूरे इतिहास में गूंजते रहे हैं। यही कारण है कि मेरे सभी साथी, नागरिक भारत को लोकतंत्र की जननी मानते हैं।

भारत न सिर्फ अपने 140 करोड़ नागरिकों की आकांक्षाओं को पूरा कर रहा है, बल्कि दुनिया को उम्मीद भी दे रहा है कि लोकतंत्र बेहतरीन व्यवस्था है। लोगों को सशक्त बनाता है। भारत में लोकसभा चुनाव का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि दुनिया लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व देखेगी और लोग एक बार फिर लोकतंत्र में अपना विश्वास जताएंगे।

दुनिया के कई नेताओं के बीच अपने संबोधन में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि जब भारत ने पिछले 10 वर्षों में 250 मिलियन लोगों को गरीबी से बाहर निकाला तो इसने सकारात्मक बदलाव के वाहक के रूप में लोकतंत्र में वैश्विक विश्वास को सुदृढ़ किया। जब भारत ने 150 से अधिक देशों को कोरोना की दवाएं और टीके पहुंचाए, तो इसने लोकतंत्र की बेहतर शक्ति को दिखाया। जब भारत ने चंद्रमा पर चंद्रयान को सफलतापूर्वक उतारा तो यह भारत के लिए सिर्फ गौरव का क्षण नहीं था, यह लोकतंत्र की जीत भी थी। जब भारत ने जी-20 की अध्यक्षता के दौरान ग्लोबल साउथ के स्वर को ऊपर उठाया, तो इसने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में विचार-विमर्श से निर्णय लेने के महत्व को दिखाया। अब, जब भारत विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की राह पर है, यह विश्व के लाखों लोगों में उज्ज्वल भविष्य की आशा का संचार करता है। जैसा कि भारत 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बनने का संकल्प लेता है, यह दिखाता है कि लोकतंत्र आकांक्षा की ओर ले जा सकता है, प्रेरित कर सकता है और उपलब्धि प्राप्त कर सकता है।

प्रधानमंत्री श्री मोदी ने यह भी कहा कि अशांति और परिवर्तन के युग में, लोकतंत्र को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। इसके लिए हमें एक साथ मिलकर काम करने की आवश्यकता है। भारत इस प्रयास में सभी साथी लोकतंत्रों के साथ अपने अनुभव साझा करने के लिए



भारत का वैश्विक लोकतंत्र में योगदान महत्वपूर्ण है। महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ाने से लेकर गरीबी उन्मूलन तक, भारत ने विभिन्न विधायी और नीतिगत पहल की हैं, जो न केवल राष्ट्रीय स्तर पर बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी लोकतांत्रिक सिद्धांतों को सुदृढ़ करती हैं।

श्री नरेन्द्र मोदी, प्रधानमंत्री

तैयार है। उन्होंने वैश्विक लोकतंत्र में भारत के योगदान के कुछ उदाहरणों का हवाला दिया, जिनमें महिलाओं के प्रतिनिधित्व के लिए विधायी उपाय, गरीबी उन्मूलन के प्रयास और कोरोना महामारी के दौरान अंतर्राष्ट्रीय सहायता उपलब्ध कराना शामिल हैं। ■

एक सामाजिक संस्कृति बन गया है स्टार्टअप

ब्यूरो

वि कसित भारत बनाने की प्रधानमंत्री की सोच को साकार करने के लिए जरूरी है कि उसमें सभी की सहभागिता हो। कई बार युवाओं की शक्ति का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने इसके लिए युवाओं से आह्वान किया है। 20 मार्च की तारीख भारतीय युवाओं के लिए विशेष दिन बन गया। खासकर उन युवाओं के लिए जो स्टार्टअप के जरिए नई शुरुआत कर चुके हैं अथवा करने वाले हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने नई दिल्ली के भारत मंडपम में स्टार्टअप महाकुंभ का उद्घाटन किया। सभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने स्टार्टअप महाकुंभ के महत्व पर प्रकाश डाला और साल 2047 तक विकसित भारत के निर्माण के लिए देश के रोडमैप पर बल दिया।

प्रधानमंत्री का कहना है कि स्टार्टअप संस्कृति भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। डिजिटल इंडिया द्वारा स्टार्टअप को प्रदान किए गए प्रोत्साहन को रेखांकित करते हुए, प्रधानमंत्री ने कहा कि यह बड़ा प्रेरणा स्रोत है। उन्होंने सुझाव दिया कि कॉलेज इसे एक अध्ययन के रूप में देखें। उन्होंने कहा कि यूपीआई फिन-टेक स्टार्टअप के लिए समर्थन का एक स्तंभ बन गया है, जो देश में डिजिटल सेवाओं के विस्तार के लिए नवीन उत्पादों और सेवाओं के विकास का नेतृत्व करता है।

प्रधानमंत्री ने भारत को 11वें स्थान से दुनिया की पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने में युवाओं के योगदान को रेखांकित किया। उन्होंने जी20 शिखर सम्मेलन के दौरान भारत मंडपम में स्थापित एक बूथ पर उद्योग और वैश्विक नेताओं की लंबी कतारों को याद किया, जिसमें यूपीआई की कार्यप्रणाली समझाई गई थी और ट्रायल रन की पेशकश की गई थी। प्रधानमंत्री ने कहा कि इससे वित्तीय समावेशन सुदृढ़ हुआ है और ग्रामीण एवं शहरी स्तर पर खाई में कमी आई है। प्रौद्योगिकी का विस्तार शहरों के साथ-साथ ग्रामीण क्षेत्रों में तक हुआ है। प्रधानमंत्री ने प्रसन्नता व्यक्त की कि देश में 45 प्रतिशत से अधिक स्टार्टअप महिलाओं के नेतृत्व वाले हैं, चाहे वह शिक्षा, कृषि या स्वास्थ्य हो।

प्रधानमंत्री ने पिछले कुछ दशकों में सूचना प्रौद्योगिकी और सॉफ्टवेयर क्षेत्र में भारत की छाप छोड़ने का उल्लेख किया और नवाचार तथा स्टार्टअप संस्कृति के उभरते रुझानों को रेखांकित किया। उनके अनुसार, स्टार्टअप जगत के लोगों की उपस्थिति आज के अवसर के महत्व को दर्शाती है। देश में स्टार्टअप की सफलता पर चर्चा करते हुए प्रधानमंत्री ने उस मौलिक प्रतिभाशाली तत्व की ओर ध्यान आकर्षित किया जो उन्हें सफल बनाता है। उन्होंने निवेशकों, इनक्यूबेटर्स, शिक्षाविदों, शोधकर्ताओं, उद्योग के अग्रणी सदस्यों और वर्तमान एवं भविष्य के उद्यमियों की उपस्थिति



भारत में 1.25 लाख स्टार्टअप कार्य कर रहे हैं। यहां तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है, जिसमें 12 लाख युवा सीधे तौर पर जुड़े हुए हैं।

श्री नरेन्द्र मोदी, प्रधानमंत्री

को स्वीकारते हुए कहा कि वास्तव में यह महाकुंभ अभूतपूर्व ऊर्जा और जीवंतता का निर्माण कर रहा है।

प्रधानमंत्री की ओर से यह भी कहा गया कि भारत आज अगर ग्लोबल स्टार्ट-अप स्पेस के लिए नई उम्मीद, नई ताकत बनकर उभरा है, तो इसके पीछे एक सोचा समझा विजन रहा है। भारत ने सही समय पर सही निर्णय लिए हैं। सही समय पर स्टार्टअप को लेकर काम शुरू किया। उन्होंने कहा कि अंतरिक्ष के 50 से अधिक सेक्टरों में भारत के स्टार्टअप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। स्टार्टअप महाकुंभ ने अद्वितीय नवाचार का प्रदर्शन किया। विभिन्न क्षेत्रों में परिवर्तनकारी उत्पादों, अत्याधुनिक प्रौद्योगिकों और नए व्यापार मॉडल को उजागर किया। ■

उत्तर-पूर्व राज्यों में हिंसा में लिप्त 10 हजार लोग हथियार छोड़ मुख्यधारा में हुए शामिल

ब्यूरो

दो

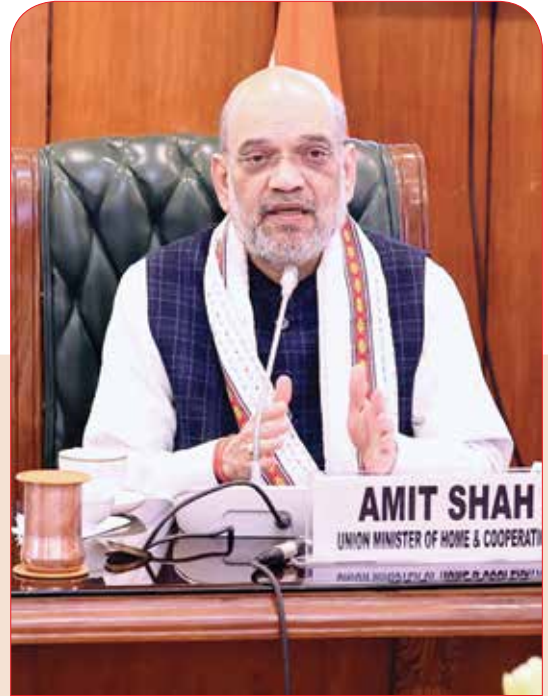
मार्च, 2024 की तारीख पूर्वोत्तर के राज्य त्रिपुरा के लिए बेहद खास रही। इस दिन केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री, श्री अमित शाह की उपस्थिति में भारत सरकार, त्रिपुरा सरकार और द इंटीजिनस प्रोग्रेसिव रिजनल अलायंस (टीआईपीआरए), जिसे टिपरा मोथा के नाम से जाना जाता है और अन्य भागीदारों के बीच नई दिल्ली में त्रिपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर हुए।

श्री अमित शाह ने कहा कि इस समझौते से हमने इतिहास का सम्मान, गलतियों में सुधार और आज की वास्तविकता को स्वीकार करते हुए तीनों का सामंजस्य कर भविष्य की ओर देखने का काम किया है। इतिहास को कोई बदल नहीं सकता, लेकिन गलतियों से सीखकर आज की वास्तविकताओं को ध्यान में रखकर हम आगे जरूर बढ़ सकते हैं। श्री शाह ने यह भी कहा कि टिपरा मोथा और सभी जनजातीय पार्टियों ने इस दिशा में बहुत कंस्ट्रक्टिव भूमिका निभाई है। समझौते के तहत त्रिपुरा के मूल निवासियों के इतिहास, भूमि और राजनीतिक अधिकारों, आर्थिक विकास, पहचान, संस्कृति और भाषा से संबंधित सभी मुद्दों को सौहार्दपूर्ण तरीके से सुलझाने पर सहमति बनी।

टिपरा मोथा की ओर से इसके संस्थापक श्री प्रद्युत देबबर्मा और अन्य ने समझौते पर हस्ताक्षर किए। समझौते पर हस्ताक्षर के दौरान प्रोफेसर (डॉ.) माणिक साहा, मुख्यमंत्री, त्रिपुरा और केंद्रीय गृह मंत्रालय, भारत सरकार और त्रिपुरा सरकार के कई वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। इसके साथ ही सम्माननीय समाधान सुनिश्चित करने के लिए, समझौते के तहत इन मुद्दों से संबंधित पारस्परिक सहमति वाले बिंदुओं पर निर्धारित समयसीमा में अमल के लिए एक संयुक्त कार्य समूह/समिति के गठन पर भी सहमति बनी। समझौते पर अमल के लिए सहायक माहौल बनाए रखने के लिए सभी स्टेकहोल्डर्स के बीच समझौता लागू होने के दिन से किसी भी प्रकार के विरोध/आंदोलन का सहारा नहीं लेने पर भी सहमति बनी।

इस मौके पर केंद्रीय गृह मंत्री की ओर से यह भी कहा गया कि त्रिपुरा सरकार ने इसके लिए शुरू से बहुत प्रयास किए हैं। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के विकसित भारत के स्वप्न में त्रिपुरा भी अपने योगदान और हिस्से के प्रति कटिबद्ध होगा और एक विकसित त्रिपुरा के रूप में आगे बढ़ेगा। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में गृह मंत्रालय ने उग्रवादमुक्त, विवादमुक्त और हिंसा मुक्त पूर्वोत्तर की कल्पना को साकार करने का प्रयास किया है। लगभग 10 हजार लोग हथियार छोड़कर मुख्यधारा में आए हैं और इसी के कारण आज पूर्वोत्तर में विकास का माहौल बना है।

सरकार के पूर्वोत्तर के प्रति विशेष लगाव और कार्ययोजना में प्राथमिकता का उल्लेख करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री ने पूर्व के समझौतों का भी उल्लेख



पूर्वोत्तर की शांति और समृद्धि के लिए भारत सरकार ने पिछले 5 सालों में 11 बड़े और ऐतिहासिक समझौते किए हैं। इस समझौते से त्रिपुरा के मूल निवासियों के इतिहास, भूमि, राजनीतिक अधिकारों, आर्थिक विकास, संस्कृति और भाषा से संबंधित सभी मुद्दों को सुलझाने पर सहमति बनी।

श्री अमित शाह
केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री

किया। श्री अमित शाह ने कहा कि चाहे बू-रियांग समझौता हो या सीमाओं का समझौता हो, इनकी शुरुआत त्रिपुरा से ही हुई थी और अब ये समझौता भी त्रिपुरा का ही हो रहा है। 2019 में एनएलएफटी (एसडी), 2020 में बू और बोडो समझौते, 2021 में कार्बी-आंगलोंग, 2022 में आदिवासी समझौता और अमस मेघालय सीमा समझौता, 2023 में असम अरुणाचल सीमा समझौता, दिमासा समझौता, यूएनएलएफ और उल्फा समझौता हुआ। उन्होंने कहा कि सरकार ने कुल 11 अलग-अलग समझौतों के माध्यम से सीमाओं, पहचान, भाषा, संस्कृति के लिए संघर्ष कर रहे लोगों के साथ बात कर संघर्ष समाप्त करने की दिशा में काम किया है। ■

सबके साथ से विकास होता जाएगा



ब्यूरो



जब सरकार रोजगार देगी, तो निश्चय ही भारत जल्द से जल्द प्रगति करेगा। 13 मार्च को प्रधानमंत्री, श्री नरेन्द्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से प्रधानमंत्री सामाजिक उत्थान एवं रोजगार आधारित जनकल्याण (पीएम-सूरज) पोर्टल का शुभारंभ किया। यह जानकारी केंद्रीय गृह राज्य मंत्री, श्री नित्यानंद राय ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर दी। सीआईएसएफ ने अपने स्थापना के बाद से ही देश की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। सीआईएसएफ के 55वें स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में छत्तीसगढ़ के भिलाई स्थित प्रशिक्षण केंद्र में आयोजित परेड समारोह में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री, श्री नित्यानंद राय सम्मिलित हुए। यह जानकारी तस्वीरों सहित उन्होंने 12 मार्च को एक्स पर दी।

प्रधानमंत्री, श्री नरेन्द्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से देश के विभिन्न राज्यों के लिए 1 लाख करोड़ रुपये की 112 सड़क परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया। इसी क्रम में केंद्रीय गृह एवं राज्य मंत्री, श्री नित्यानंद राय ने पटना के ऊर्जा सभागार में कार्यक्रम में 11 मार्च को सम्मिलित होकर बिहार के विकास के लिए करीब ₹5 हजार करोड़ की 10 से अधिक योजनाओं के लिए प्रधानमंत्री का हृदय से आभार व्यक्त किया। ये परियोजनाएं बिहार सहित देश के विभिन्न राज्यों के सामाजिक और आर्थिक विकास को नई गति प्रदान करने का काम करेंगे। जिससे रोजगार को बढ़ावा तो मिलेगा ही साथ ही व्यापार को भी प्रोत्साहन मिलेगा।

8 मार्च को केंद्रीय गृह राज्य मंत्री, श्री निशित प्रामाणिक ने सिलीगुड़ी में आयोजित पूर्व और उत्तर पूर्व क्षेत्र के लिए संयुक्त क्षेत्रीय राजभाषा सम्मेलन 2024 की कुछ तस्वीरें साझा कीं। सिताई विधानसभा क्षेत्र में भारत संकल्प यात्रा और जनसंपर्क गतिविधियों के कुछ खास पलों की तस्वीरों को एक्स पर 7 मार्च को केंद्रीय गृह राज्य मंत्री, निशित प्रामाणिक ने साझा किया। कूचबिहार लोकसभा के दिनहाटा विधानसभा के साहेबगंज क्षेत्र में जनसंपर्क कार्यक्रम के कुछ खास पलों की तस्वीरों को केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री, श्री निशित प्रामाणिक ने 2 मार्च को एक्स पर पोस्ट किया है।

14 मार्च को केंद्रीय गृह राज्य मंत्री, श्री अजय कुमार मिश्रा ने अपने संसदीय कार्यालय पर जनता की समस्याएं सुनीं और उनका निवारण किया। लखीमपुर खीरी में युवराज दत्त महाविद्यालय में आयोजित स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तीकरण योजना के अंतर्गत विद्यार्थियों को स्मार्टफोन/टैबलट वितरण कार्यक्रम में मुख्य अतिथि रहे केंद्रीय गृह राज्य मंत्री, श्री अजय कुमार मिश्रा। तस्वीरों सहित ये जानकारी उन्होंने 14 मार्च को एक्स पर दी।

विधानसभा श्रीनगर में छत्र अलंकरण समारोह सहित, विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण किया केंद्रीय गृह राज्य मंत्री, श्री अजय कुमार मिश्रा ने। इसकी कुछ तस्वीरें उन्होंने 13 मार्च को एक्स पर साझा की। नगर पंचायत मैलानी में ओपन जिम का लोकार्पण किया केंद्रीय गृह राज्य मंत्री, श्री अजय कुमार मिश्रा ने। इसकी कुछ तस्वीरें उन्होंने 12 मार्च को एक्स पर साझा कीं। ■

महिला सुरक्षा के मजबूत दृढ़ संकल्प का एक दशक

भा

रत बीते एक दशक में महिला सुरक्षा में बदलावों का साक्षी बना, इस दौरान महत्वपूर्ण विधायी बदलाव किए गए और उन्नत तकनीकी समाधानों को अपनाया गया। वर्ष 2014 से 2024 तक का समय एक महत्वपूर्ण अवधि के रूप में सामने आता है, इस दौरान महिलाओं की सुरक्षा के बारे में सामूहिक संचेतना की गूंज सता के गलियारे तक पहुंच गई, जिससे मजबूत नीति परिवर्तन और सुरक्षा उपायों का कार्यान्वयन संभव हो पाया।

महिला सुधारों के दशक भर के निर्णायक समय में वर्ष 2018 में महत्वपूर्ण समय आया, जब आपराधिक कानून (संशोधन) अधिनियम लागू किया गया। यह संशोधन, बच्चों के साथ क्रूर बलात्कार की घटनाओं पर राष्ट्रीय आक्रोश से प्रेरित होकर, यौन अपराधों, विशेषकर नाबालिगों के विरुद्ध किए गए अपराधों के विरुद्ध कानूनी तंत्र को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था। कानून में 12 साल से कम उम्र के नाबालिग बलात्कारियों के लिए आजीवन कारावास या मृत्युदंड सहित गंभीर सजा की व्यवस्था की गई जो इस संदर्भ में पिछले कानूनों से काफी भिन्न था। इन परिवर्तनों का उद्देश्य कड़े कानूनों के माध्यम से जघन्य अपराधों को रोकना था।

संशोधन के जरिए बलात्कार जैसे जघन्य अपराधों की न्यायिक प्रक्रिया में महत्वपूर्ण परिवर्तन किया गया। इसके तहत 16 साल से कम उम्र के नाबालिगों के साथ बलात्कार या सामूहिक बलात्कार के आरोपियों की अग्रिम जमानत को भी अस्वीकार कर दिया गया, इससे अपराधियों के कानून से बचने के रास्तों को बंद कर दिया गया।

इसके अतिरिक्त तीन नए आपराधिक कानून भारतीय न्याय संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 का अधिनियमन औपनिवेशिक युग के दंडात्मक और प्रक्रियात्मक कानूनों को बदलने के लिए तैयार है, जो एक दूरदर्शी का संकेत देता है। जिससे समकालीन कानूनी मानक और सामाजिक मानदंड रेखांकित होते हैं।

नये नियम एक जुलाई से देशभर में लागू कर दिए जाएंगे जिससे समाज में महिलाओं का आत्मविश्वास बढ़ेगा। अपराधियों को दंडित करने, अपराध पर रोकथाम करने और पीड़ितों को समयबद्ध न्याय सुनिश्चित करने के लिए प्रवर्तन एजेंसियां और अदालतों को तैयार किया जाएगा। नये आपराधिक कानूनों के प्रावधानों के तहत, चिकित्सकों को बलात्कार पीड़िता की मेडिकल रिपोर्ट सात दिन के भीतर जांच अधिकारियों को अनिवार्य रूप से उपलब्ध करानी होगी। यौन अपराधों के लिए एक महिला मजिस्ट्रेट पीड़िता का बयान दर्ज करेगी और जहां महिला मजिस्ट्रेट उपलब्ध नहीं हों वहां एक महिला की उपस्थिति में ही बयान दर्ज किया जाएगा।

इन कानूनों ने महिलाओं के खिलाफ अपराधों की परिभाषा और वर्गीकरण को बदल दिया है। डिजिटल साक्ष्यों की भूमिका पर नये कानूनों



मंत्री जरुहर

में अधिक जोर दिया गया है इसके साथ ही पीड़िता की सुरक्षा को भी मजबूत किया गया है, जिससे अधिक संवेदनशील और न्यायपूर्ण कानूनी वातावरण तैयार किया जा सके।

इन कानूनी सुधारों के समानांतर, पुलिसिंग और निगरानी में तकनीकी के प्रयोग ने महिला सुरक्षा के प्रति भारत के दृष्टिकोण में एक नई सीमा तय की है। अब पूरे देश में एकीकृत आपातकालीन नंबर 112 प्रदान करने वाली आपातकालीन प्रतिक्रिया सहायता प्रणाली (ईआरएसएस) का कार्यान्वयन,

व्यापक निगरानी प्रणालियों के साथ सुरक्षित शहर परियोजनाओं की शुरुआत और यौन अपराधियों का राष्ट्रीय डेटा बेस (एनडीएसओ) जैसे डिजिटल डेटाबेस की स्थापना ने महिलाओं के खिलाफ अपराधों को रोकने के लिए बुनियादी ढांचे को मजबूत किया है।

इन कानूनी और तकनीकी प्रगति के बीच राजनीतिक नेतृत्व ने भी परिवर्तन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने एक मजबूत समाज को बढ़ावा देने में महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका पर लगातार जोर दिया है और देश की प्रगति के अभिन्न अंग के रूप में उनकी सुरक्षा और सशक्तिकरण की पैरवी की है। स्वतंत्रता दिवस के अपने भाषणों और मन की बात रेडियो पर प्रसारित होने वाले संबोधनों में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने लैंगिक समानता और महिलाओं के सशक्तिकरण के महत्व पर प्रकाश डाला है। उन्होंने पुलिस बल में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी की सराहना करते हुए कहा कि उनकी उपस्थिति से न केवल सुरक्षा को बढ़ावा मिलता है बल्कि महिलाओं में आत्मविश्वास की भावना भी पैदा होती है।

प्रधानमंत्री ने अक्सर महिलाओं को अपमानित करने वाली पितृसत्तात्मक प्रथाओं को खत्म करने के लिए सामाजिक बदलाव की आवश्यकता पर जोर दिया है। इसकी जगह प्रधानमंत्री ने ऐसी संस्कृति को विकसित करने की बात कही जो महिलाओं को समान रूप से सम्मान और महत्व देती है। उन्होंने कई बार महिलाओं के नेतृत्व में विकास पर अधिक बल दिया है।

केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने भी इस बात पर जोर दिया है महिलाओं की सुरक्षा सम्मान और सभी गतिविधियों में महिलाओं की भागीदारी केंद्र सरकार की प्राथमिकता में शामिल है। उन्होंने महिला आरक्षण विधेयक पर चर्चा के दौरान स्पष्ट किया और कहा कि विधेयक के पारित होने से महिलाओं की समानता के लिए एक नए युग की शुरुआत होगी। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि महिला सशक्तिकरण एक मुख्य सिद्धांत है और कहा कि महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करना वर्तमान सरकार की लगातार सर्वोच्च प्राथमिकता बनी हुई है।

(लेखिका बिहार की पहली और भारत की पांचवीं महिला आईपीएस अधिकारी हैं। पूर्व विशेष महानिदेशक, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल)



केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री, श्री अमित शाह की उपस्थिति में भारत सरकार, त्रिपुरा सरकार और द इंडीजीनस प्रोग्रेसिव रीलिजन एलायंस, जिसे त्रिपरा मोथा के नाम से जाना जाता है और अन्य स्टेकहोल्डर्स, के बीच 2 मार्च को नई दिल्ली में त्रिपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर हुए।

#CISFRaisingDay2024 के उपलक्ष्य में मनाए जा रहे #CISFWeek में रक्तदान शिविर का आयोजन केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल आरटीसी बड़वाहा में आयोजित किया गया। शिविर में सीआईएसएफ अधिकारियों एवं जवानों द्वारा 54 यूनिट रक्तदान किया गया। यह जानकारी 8 मार्च को केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के अधिकारिक पोस्ट एक्स पर बताई गई।



अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो में 'पुलिस में महिलाओं' पर आयोजित एक कार्यशाला में नए आपराधिक कानूनों और कार्य जीवन संतुलन पर, सुश्री अर्चना रामसुंदरम,आईपीएस (रिट), सदस्य लोकपाल तथा पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो के महानिदेशक श्री बालाजी श्रीवास्तव ने पुलिस बलों के 100 प्रतिभागियों को संबोधित किया।



माता-पिता के लिए इंटरनेट सुरक्षा की युक्तियों को पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो के यूट्यूब चैनल 'पुलिस और सेवा' के एक वीडियो में बताया गया है। यदि आपके बच्चे को कभी ऑनलाइन कोई परेशान करता है या डराता है, तो उसे अपने बच्चे को सिखाएं। ऑनलाइन गतिविधि और उसके व्यवहार के प्रति सतर्कता व सावधानी को लेकर पूरी जानकारी दें। सोच समझ कर ऑनलाइन गतिविधि करें। सतर्क रहें, साइबर सुरक्षित रहें। यदि आप साइबर क्राइम के शिकार बन गए हैं, तो 1930 पर कॉल करें और www.cybercrime.gov.in पर तुरंत अपनी अपनी कंप्लेंट फाइल करें।



भारत के वीर

देश के जवानों को श्रद्धांजलि और समर्थन

<https://bharatkeveer.gov.in>

दिशा-निर्देश

- ⇒ आप सीधे भारत के वीर के खाते में (अधिकतम ₹15 लाख तक) दान कर सकते हैं या भारत के वीर कोष में दान कर सकते हैं।
- ⇒ अधिकतम कवरेज सुनिश्चित करने के लिए, प्रति वीर ₹15 लाख की सीमा तय की गई है और यदि राशि ₹15 लाख से अधिक है तो दाता को सतर्क किया जाएगा, ताकि वे या तो अपने योगदान को कम करने या योगदान के हिस्से को किसी अन्य भारत के वीर के खाते में डालने का विकल्प चुन सकें।
- ⇒ भारत के वीर फंड का प्रबंधन प्रतिष्ठित व्यक्तियों और समान संख्या में वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों की एक समिति द्वारा किया जाएगा, जो आवश्यकता के आधार पर भारत के वीर परिवार को समान रूप से फंड वितरित करने का निर्णय लेंगे।



“

हमने कहा था कि तीन तलाक मुस्लिम माताओं-बहनों के लिए अन्याय वाला है, उसे समाप्त कर देंगे, हमने वो वादा भी पूरा किया। हमने कहा था कि न्याय मिलने की गति को बढ़ाएंगे और न्याय दंड के आधार पर नहीं होगा, ये भी कर दिखाया है। महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा के लिए भी नए कानूनों में कई प्रावधान किए गए हैं। भारतीय न्याय संहिता में इस बारे में एक नया चैप्टर जोड़ा गया है। 18 वर्ष से कम उम्र की महिला के बलात्कार के अपराध में आजीवन कारावास और मृत्यु दंड का प्रावधान किया गया है।

”

श्री अमित शाह, केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री



**पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो
गृह मंत्रालय, राष्ट्रीय राजमार्ग-48, महिपालपुर,
नई दिल्ली-110037**